संशोधित प्रति

28.7.2001

सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
(2001-2010)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
(2001-2002)

जनपद - वाराणसी

NIEPA DC

D11489

- 54259
372
VAR-D

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-11489
Date 09-07-2002

वाराणसी

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–5
2.	शैक्षिक परिदृश्य	6–13
3.	नियोजन प्रक्रिया	14–25
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	26–29
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	30–33
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (नवीन विद्यालय)	34–38
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	39–56
8.	ठहराव में वृद्धि	57–68
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	69–102
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	103–126
11.	परियोजना लागत	127-140
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	141-150
	परिशिष्ट	
	महत्वपूर्ण शासनादेश	

जनपद परिचय

भौगोलिक पृष्ठभूमि

भारत संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक का प्रतिनिधित्व करता हैं और वाराणसी जनपद भारत/संसार का प्राचीनतम सभ्य सुसंस्कृत और सुशिक्षित जनपद रहा हैं वाराणसी जनपद 24.06 से 24.35 उत्तरी आक्षांस एवं 81.14 से 81.42 पूर्वी देशान्तर की बीच स्थित है। पतित पावनी गंगा और उसकी सहायक गोमती नदी इसको दो दिशाओं में घेरे हुए है और वरूणा नदी इसके मध्य में प्रवाहमान है। इसके पश्चिम में जनपद भदोही (सन्त रविदास नगर) उत्तर में जौनपुर, गाजीपुर पूर्व में जनपद चन्दौली तथा दक्षिण में मिर्जापुर जनपद स्थित है। वाराणसी जनपद का कुल क्षेत्रफल 1550.30 वर्ग कि0मी0 है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जनपद वाराणसी प्रागैतिहासिक काल से ही अपने शैक्षिक एवं अध्यात्मिक महत्व के लिए विश्व विख्यात रहा है। महाभारत काल में भी काशी राज का गौरव पूर्ण उल्लेख किया गया है। बौद्ध काल में काशी का जनपद षोडस महा जनपदों में एक प्रमुख जनपद था। जैन धर्म के 23 वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के ही थे। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्रपात काशी के उपान्त सारनाथ से किया था। जो आगे चलकर विश्व धर्म के रूप में परिणित हो गया। कालान्तर में वाराणसी जनपद राजनीतिक दृष्टि से नहत्वपूर्ण अवश्य नहीं था परन्तु इसकी शैक्षिक, अध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्ता निर्विवाद रही है। तुर्क राजवंश की स्थापना के पूर्व इस पर क्रमशः मौर्यो गुप्तों एवं शुंगों पुष्यभूतियों, प्रतिहारों तथा गहरवारों का शासन था।.

जनपद का मुख्यालय वाराणसी विश्व की प्राचीनतम नगरी है तथा विद्या, कला तथा संस्कृति का केन्द्र है। इसके समयकालीन संसार के अन्य सांस्कृतिक केन्द्र काल के प्रबल प्रवाह में अदृश्य हो गये। किन्तु आज भी सम्पूर्ण भारत को प्रतिबिम्बित करते हुए वाराणसी नगरी जीवन्त एवं उर्जावान है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमृत वाहिनी पतित पावन गंगा के वाम पार्श्व में स्थित काशी विश्वनाथ की यह नगरी अमरत्व के उपहार से सम्बलित है। राज्य बदले, सत्तायें बदली किन्तु इसका शैक्षिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक महत्व अक्षुण्ण रहा और शंकराचार्य सदृश्य विद्वानों को अपनी विद्वता का प्रमाण पत्र काशी से ही प्राप्त हुआ है। जनपद को प्रशासनिक दृष्टि से निम्न इकाइयों में बाटा गया है।

सारणी – 1.1
जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ

क्र.स.	ग्रामीण क्षेत्र	संख्या	क्र.स.	नगर क्षेत्र	संख्या
1.	तहसील	02	1.	नगर निगम	01
2.	विकास खण्ड	08	2.	नगर पालिका	01
3.	न्याय पंचायत	108	3.	टाउन एरिया	01
4.	ग्राम सभा	702	4.	छावनी परिषद्	01
5.	राजस्व ग्राम आवाद	1264	5.	वार्ड (नगर निगम)	132

स्रोत : जिला सांख्यिकीय पत्रिका 1999

जनपद में कुल 1264 आबाद ग्राम तथा 74 गैर आबाद ग्राम है। कुल ग्राम सभाओं की संख्या 702, न्याय पंचायत 108 तथा विकास खण्ड 8 है। नगर क्षेत्र में 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका, 1 टाउन एरिया, 1 छावनी परिषद तथा कुल 132 वार्ड है।

अर्थव्यवस्था–

वाराणसी जनद की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हैं। यह जनपद वाराणसी की भूमि गंगा नदी का वरदान हैं। यहां पर गेहूँ, चावल तथा अन्य दलहनी फॅसले सुगमता से उगायी जाती है। लगभग 90 प्रतिशत भूमि सिंचित हैं। नहर और ट्यूबेल सिंचाई के मुख्य साधन हैं। गन्ना, आलू, मटर की फॅसले कैस क्राफ्ट के रूप में अधिकता से उगाई जाती है। फलों में लगड़ा आम, नीबू, करौदा, फालसा एवं ऑवला की प्रमुख बागान है। विकास क्षेत्र चिरईगाँव अमरूद के उत्पादन में अपना विशेष स्थान रखता हैं

उद्योग धन्धे –

वाराणसी जनपद में लघु उद्योग के रूप में विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी, कालीन की बुनाई तथा फल संरक्षण प्रमुख है। डीजल रेल इन्जन का कारखाना तथा औद्योगिक नगर में कागज बनाने, पराग डेरी उद्योग भी स्थापित है जो अपने में एक ख्याति प्राप्त उद्योग हैं उपरोक्त धन्धे में लगी जनसंख्या का वर्गीकरण निम्नवत् है।

सारणी – 1.2

जनपद में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

क्र.स.	नगर / ग्रामीण क्षेत्र	कृषक	कृषि श्रमिक	पशुपालन वृक्षारोपण	उद्योग / खान श्रमिक	निर्माण कार्य	व्यापार एवं वाणिज्य	कुल कर्मकर
1.	ग्रामीण	190657	67077	2831	234	10795	20700	484798
2.	नगरीय	4545	2951	3434	86	6668	75304	288164
	योग	**195202**	**70028**	**6269**	**302**	**17463**	**96004**	**774962**

स्रोत : जिला सांख्यिकीय पत्रिका 1999

उपरोक्त सांख्यिकी से यह स्पष्ट है कि जनपद की कुल जनसंख्या का 7.78 प्रतिशत कृषक, 2.79 कृषक श्रमिक, 0.24 पशुपालन वृक्षारोपण, 0.01 प्रतिशत उद्योग / खान श्रमिक, 0.69 निर्माण श्रमिक, 3.82 व्यापार एवं वाणिज्य, 30.89 कुल कर्मकर है।

जनपद की जनसंख्या सम्बन्धी विवरण

वाराणसी सघन जनसख्या वाला जनपद है जनपद में जनसंख्या का घनत्व 1995 प्रतिवर्ग कि0मी0 है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल आबादी 3147927 है जिसके 1650138 पुरूष तथा 1497789 महिलाएँ है। वृद्धिदर प्रतिवर्ष 2.3 है लिंग अनुपात प्रतिहजार पुरूष पर 908 महिलायें हैं। जनगणना 2001 के अनुसार 0–6 आयुवर्ग में जनसंख्या 565396 है, जो कुल जनसंख्या का 17.9 प्रतिशत है।

सारणी – 1.3

क्र.स.	विषय	वर्ष	जनसंख्या	कुल का प्रतिशत
1.	जनसंख्या	2001	3147927	
	(क) पुरूष		1650138	52.41
	(ख) महिला		1497789	47.59
2.	ग्रामीण जनसंख्या	1991	1450138	57.8
	(क) पुरूष		758333	52.2
	(ख) महिला		691805	47.8
3.	नगरीय जनसंख्या	1991	1057972	42.2
	(क) पुरूष		568428	53.7
	(ख) महिला		489544	46.3
4.	लिंग अनुपात	2001	1000/908	

स्रोत—वर्ष 2001 की जनगणना से उपलब्ध ऑकड़े में क्षेत्रवार जनसंख्या अलग–अलग उपलब्ध नहीं है।

जनपद की जनसंख्या में पुरूषों की आबादी 52.41 प्रतिशत है। जबकि महिलाओं की 47.59 है। विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्रवार जनसंख्या निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

सारणी – 1.4
विकास क्षेत्रवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क्र. स.	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 1991						2001 अनुमानित					
		कुल जनसंख्या			अनु०जाति की जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु०जाति की जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	काशी विद्यार्पाठ	99020	85921	18494	14715	12554	27269	121299	105253	226552	18026	15379	33405
2.	अराजीलाइन	124310	110306	234616	17262	15221	32483	152279	135125	287404	21146	18646	39792
3.	सेवापुरी	82614	75927	158541	14459	13214	27673	101202	93011	194213	17712	16187	33899
4.	चिरईगाँव	97946	87575	185521	20119	17925	38044	119984	107279	227263	24646	21958	46604
5.	चोलापुर	84527	77658	162185	19903	17809	37712	103546	95131	198677	24381	21816	46197
6.	बड़ागाँव	82576	79267	161843	14861	14519	29380	101156	97102	198258	18205	17786	35991
7.	हरहुआ	87210	78256	166466	15443	13936	29379	106832	97089	203921	18918	17072	35990
8.	पिण्डरा	100130	95895	196025	18421	17524	35945	122659	117471	240130	22566	21467	44033
	योग ग्रार्मीण	758333	691805	1450138	135183	222702	257885	928957	847461	1776418	165600	150311	315911
	योग नगर क्षेत्र	568428	489544	1057972	47993	41016	89009	696324	59961	1296015	58791	50281	109072
	जनपद कुल योग	1326761	1181349	2508110	183176	163718	346894	1625282	1447152	3072434	224391	200555	424946

स्रोत :– वर्ष 1991 की जनगणना के आधार उपरोक्त ऑकड़े प्राप्त किये गये तथा 2001 के लिए प्रक्षेपित किया गया हैं। 2001 की जनगणना के ब्लाकवार जातिवार ऑकड़े उपलब्ध नहीं है।

जनपद क्षेत्र पंचायत सेवापुरी की जनसंख्या सबसे कम 158541 है तथा क्षेत्र पंचायत आराजी लाइन सबसे अधिक 234616 है तथा अनुसूचित जाति की आबादी क्षेत्र पंचायत काशी विद्यापीठ में 27269 सबसे कम एवं क्षेत्र पंचायत चिरईगाँव में 38044 सबसे अधिक है।

सारणी 1.5
धर्म एवं भाषा के अनुसार जनसंख्या का विवरण (संयुक्त वाराणसी)
(1991 की जनगणना के अनुसार)

प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय	जनसंख्या			जनसंख्या का कुल प्रतिशत
	कुल	ग्रामीण	नगरीय	
हिन्दू	3266483	2427488	838995	86
मुस्लिम	502894	167457	335437	13.29
इसाई	5206	2377	2829	0.14
सिक्ख	4299	355	3944	0.11
बौद्ध	2129	1857	272	0.06
जैन	1605	262	1343	0.04
अन्य	332	142	190	0.01
कुल	37829939	2599939	1183010	100.00

स्रोत : जिला सांख्यिकीय पंत्रिका 1999

सारणी 1.6
मातृभाषा के अनुसार जनसंख्या का विवरण (संयुक्त वाराणसी)

क्रमांक	भाषाएँ	कुल	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1.	हिन्दी	3713236	94.84
2.	उर्दू	9866	1.31
3.	पंजाबी	367	0.05
4.	बंगाली	17	00
5.	अन्य	200	0.03
	कुल योग	3723686	96.23

स्रोत : जिला सांख्यिकीय पंत्रिका 1999

वाराणसी जनपद सभी दिशाओं से सड़क एवं रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। सम्पूर्ण भारतवर्ष से सभी क्षेत्र के लिए यहां से रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध है। कोलकाता से दिल्ली जी.टी. रोड वाराणसी से ही होकर जाती है तथा इसके सीमावर्ती जनपद सड़क मार्ग से जुड़े हुए है। जनपद में कुल विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 1088 जिससे 488 अनुसूचित जाति की बस्तियाँ है। जनपद के 90 प्रतिशत ग्राम दूरसंचार माध्यम से जुड़े हुए है।

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

शिक्षा की दृष्टि से जनपद वाराणसी कभी संसार में विकसित क्षेत्र था। विशेष रूप से वाराणसी नगर अपने पराभव काल में भी शिक्षा की ज्योति प्रज्जलित करता रहा है। किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि परतन्त्रता काल में जन शिक्षा की उपेक्षा हो गयी और यह जनपद भी इसका शिकार हुआ। इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना वर्ष 1993–94 से 2000 तक संचालित रही हैं। जिसके अन्तर्गत शैक्षिक स्थिति में प्रशसनीय सुधार हुआ हैं। जिसके अन्तर्गत 220 प्राथमिक विद्यालय, 94 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 121 प्राथमिक विद्यालय का पुर्ननिर्माण, 13 उच्च प्राथमिक विद्यालय का पुर्ननिर्माण, 704 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 341 शौचालय, 102 हैण्डपम्प, 108 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा 08 ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को विभिन्न आयामों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा संचालित होने के कारण विद्यालयीय शिक्षा के गुणवत्ता तथा विद्यालयों को आकर्षक बनाने में प्रशंसनीय सुधार हुआ है। जिसके कारण जनपद का ड्राप आउट दर 30 प्रतिशत से घटकर 26.2 प्रतिशत हो गया है। जनपद की शैक्षिक स्थिति का विवरण अधोलिखित है: –

सारणी 2.1

तुलनात्मक साक्षरता दर (1991 की जनगणना के अनुसार)

क्र.स.	विवरण	जनपद साक्षरता दर	राज्य साक्षरता दर
1.	कुल साक्षरता	52.42	41.60
2.	ग्रामीण साक्षरता	43.80	36.60
3.	नगरीय साक्षरता	63.60	61.03
4.	कुल पुरूष साक्षरता	68.39	55.73
5.	कुल महिला साक्षरता	35.35	25.31
6.	ग्रामीण पुरूष साक्षरता	62.60	52.05
7.	ग्रामीण महिला साक्षरता	23.00	19.02
8.	नगरीय पुरूष साक्षरता	73.30	69.63
9.	नगरीय महिला साक्षरता	52.00	50.38
10.	कुल अनुसूचित जाति साक्षरता	5.58	– –
11.	अनुसूचित जाति पुरूष	7.37	– –
12.	अनुसूचित जाति महिला	3.80	– –

नोट : 2001 की जनगणना के अनुसार तुलनात्मक साक्षरता दर अभी उपलब्ध नहीं है। 2001 की जनगणना के अनुसार वाराणसी जनपद की साक्षरता दर 67.09% जिसमें पुरूषों की 83.66% तथा महिलाओं की 48.59% है। विगत में साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद वाराणसी की साक्षरता की दर राज्य की साक्षरता की दर की तुलना में क्रमांक 1 से 9 तक के सभी वर्गो में अधिक है। जहां राज्य की साक्षरता दर 41.6 है वहीं इस जनपद की साक्षरता दर 52.42 है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की साक्षरता दर 23.00 है, जबकि राज्य की साक्षरता दर 19.00 है। इसके बावजूद ग्रामीण महिला साक्षरता दर में सुधार लाने की आवश्यकता है। जनपद का विकास खण्डवार साक्षरता दर निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 2.2

विकास खण्डवार साक्षरता

क्र.स.	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत मे)		
		पुरूष	महिला	योग
1.	काशी विद्यापीठ	60.2	23.9	43.5
2.	आराजी लाइन	60.3	21.4	43.2
3.	सेवापुरी	64.4	23.9	45.0
4.	चिरईगाँव	54.1	18.1	37.3.
5.	चोलापुर	61.6	23.2	43.2
6.	बड़ागाँव	69.0	26.3	48.0
7.	हरहुआ	62.5	23.6	43.6
8.	पिण्डरा	68.0	25.4	47.1
9.	योग ग्रामीण	62.6	23.0	43.8
10.	योग जनपद	67.39	35.35	52.42

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पंत्रिका 1999, 2001 की जनगणना के आधार पर ब्लाक वार साक्षरता दर अभी उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार जनपद वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत बड़ागाँव की साक्षरता का दर 48 प्रतिशत सबसे अधिक तथा क्षेत्र पंचायत चिरईगाँव की साक्षरता दर 37.30 सबसे कम है।

क्र.स.	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत में)		
		पुरूष	महिला	योग
1.	वाराणसी नगर निगम	73.30	52.00	63.60
2.	राम नगर	66.01	51.03	58.52
	योग	69.65	51.51	61.06

स्रोत : जिला सांख्यिकीय पंत्रिका 1999। 2001 की जनगणना के ऑकड़े उपलब्ध नहीं है।

जनपद वाराणसी के नगर क्षेत्र में 2 इकाईया है। नगर निगम वाराणसी एवं नगर पालिका रामनगर। नगर निगम वाराणसी की साक्षरता दर 58.52 है।

जनपद में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाएँ

समस्त शिक्षा संस्थाओं में केवल प्राथमिक व उच्च प्राथमिक संस्थायें ही शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य से सम्बन्धित है। इन्हीं के विस्तार, क्षमता व समानता पर ही सर्वशिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव है। जनपद की समस्त शिक्षण संस्थाओं (प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय तक) का संक्षिप्त विवरण सारणी 2.4 से स्पष्ट है :–

सारणी 2.4

शैक्षिक संस्थाएँ

क्र.स.	विवरण	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्राथमिक विद्यालय	759	123	882	154	117	271	913	240	1153	03	12	15
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राथमिक अनुभाग	.	.	.	.	11	11	.	11	11	.	.	.
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	161	24	185	167	118	285	328	142	470	02	09	11
4	माध्यमिक विद्यालय सम्बद्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	02	05	07	123	52	175	125	57	182	.	.	.
5	केन्द्रीय विद्यालय	.	3	3	.	.	.	.	3	3	.	.	.
6	नवोदय विद्यालय	.	.	.	.	..	.	.	.	.	.	.	.
7	हाईस्कूल	.	.	.	63	.	63	63	.	63	.	.	.
8	इन्टरमीडिएट	02	05	07	60	52	112	62	57	119	.	.	.
9 10	डिग्री कालेज स्नातकोत्तर महाविद्यालय	01	.	01	05	08	13	06	08	14	.	.	.
11	विश्वविद्यालय	.	5	5	.	.	.	.	5	5	.	.	.
12	तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई. / पालिटे.)	.	4	4	.	.	.	.	4	.	.	.	.
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ	.	2	2	7	23	30	7	25	32	.	.	.
14	आंगन बाडी केन्द्रों की संख्या	1424	110	2534	.	.	.	1424	110	2534	.	.	.
15	मकतब / मदरसे	.	.	.	154	31	185	154	31	185	.	.	.
16	संस्कृत पाठशालाएँ	.	.	.	30	58	88	30	58	88	.	.	.
17	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएँ	.	.	.	2	18	10	2	18	10	.	.	.
18	बाल श्रमिक विद्यालय	.	.	.	7	3	10	7	3	10	.	.	.

जनपद वाराणसी में उच्च शिक्षा की विशेष सुविधा उपलब्ध है। इस जनपद में कुल पाँच विश्वविद्यालय हैं, जिसमें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अपनी शैक्षिक ख्याति के लिए विश्व में अपना स्थान रखता है। डॉ0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तथा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अलावा दो डीम्ड विश्वविद्यालय भी है। काशी ही विश्व में ऐसा नगर है, जहां पर पाँच विश्वविद्यालय है। जनपद में महाविद्यालयों की कुल संख्या 18, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 182, उच्च प्राथमिक विद्यालय 469 तथा प्राथमिक स्तर की कुल 1161 शिक्षण संस्थाएँ है।

शिक्षकों की उपलब्धता

प्राथमिक स्तर पर 6–11 वय वर्ग के बच्चे के लिए कुल परिषदीय विद्यालयों की संख्या 759 है जिसमें प्रधान अध्यापक तथा सहायक अध्यापक का कुल सृजित पद 3844 के सापेक्ष 2337 अध्यापक कार्यरत् हैं। इस प्रकार जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1507 पद रिक्त है। इस रिक्ति से सापेक्ष 217 शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जा चुकी है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 161 है। जिसमें कुल 861 पद सृजित हैं। जिसके सापेक्ष 652 अध्यापक ही कार्यरत है। इस प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के कुल 209 पद रिक्त हैं। जैसाकि निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 2.5
परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता

क्रमांक	विवरण	सृजित	कार्यरत	शिक्षा मित्र	रिक्ति
1.	प्राथमिक विद्यालय	3844	2337	217	1507
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	861	652	—	209

स्रोत : विभागीय ऑकड़े ।

प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

इस जनपद में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना की समाप्ति के उपरान्त कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 759 है तथा जनपद की 300 से अधिक आवादी वाले कुल 977 ग्राम 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर सेवित है। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप 40 ऐसे ग्राम है जिनकी आवादी 300 से अधिक है और 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। 40 के अतिरिक्त 300 से अधिक आबादी वाली कोई ऐसी बस्ती नहीं है जो मानक के अनुसार सेवित न हो, जैसा कि निम्न सारिणी से स्पष्ट है।

सारणी 2.6

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

कुल ग्राम/बस्तियों की संख्या		1 कि.मी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 कि.मी. से अधिक किन्तु 1.5 कि.मी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 कि.मी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
1264	ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	907	70	40
4403	ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	2645	–	–

स्रोत : विभागीय आंकड़े

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद वाराणसी में माइक्रोप्लानिंग के अनुसार प्राप्त शैक्षिक ऑकड़ों के आधार पर कुल 40 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद में कुल उच्च परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 161 है, जिसमें उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत खोले गये विद्यालय भी सम्मलित है। राज्य सरकार के मानक के अनुसार 800 से अधिक आबादी वाले एवं 3 कि0मी0 से अधिक दूरी से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता के आधार पर 24 उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्कता है, परन्तु सर्वशिक्षा अभियान के मानक 1:2 (उच्च प्राथमिक/प्राथमिक) के अनुसार कुल 239 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है।

सारणी 2.7

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

कुल ग्राम/बस्तियों की संख्या		3 कि.मी. से कम दूरी पर परिषदीय/मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध सेवित बस्तियां	3 कि.मी. से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 1:2 करने हेतु अपेक्षित उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या
1264	ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	711	24	239
4403	ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	1202	–	–

स्रोत : विभागीय आंकड़े

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद वाराणसी में 800 से अधिक आबादी वाले ग्रामों/बस्ती जहां से 3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है के अनुसार कुल 24 ग्राम मानक के अनुसार असेवित है, किन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय में 1:2 के अनुपात में (प्राथमिक विद्यालय 799/2=400–161= 239 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

सारणी 2.08

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ (परिषदीय विद्यालय 1/1/2001 की स्थिति

प्राथमिक स्तर		नगर नगर क्षेत्रवार	योग
1. प्राथमिक विद्यालय भवन	759	135	894
2. एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	02	12	14
दो कक्षीय वि0की0सं0	94	25	119
तीन कक्षीय वि0की0सं0	269	28	257
चार कक्षीय वि0की0सं0	139	34	173
पाँच कक्षीय वि0की0सं0	133	34	167
5 कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	120		120
3. मरम्मत योग्य विद्यालय	476	लघु मरम्मत योग्य 427	वृहत मरम्मत योग्य 49
4. शौचालय	शौचालय युक्त विद्यालय 750	शौचालय विहीन विद्यालय 140	शौचालयों की आवश्यकता 140
5. हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त 827	हैण्डपम्प विहीन 63	हैण्डपम्प की आवश्यकता 63
6. चाहर दीवार	चाहर दीवारी युक्त 311	चाहर दीवारी विहीन 579	चाहर दीवरी आवश्यकता 579
7. पुनर्निमाण	–	–	पुर्निर्माण की आवश्यकता 17

उच्च प्राथमिक स्तर				
7. उच्च प्राथनिक विद्यालय भवन	कुल विद्यालयों की संख्या 184	भवनयुक्त 184	भवनहीन 00	जर्जर (पुननिर्माण योग्य) 05
8. मरम्मत योग्य	60	लघु मरम्मत	43	वृहत मरम्मत 17
9. एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	ग्रामीण	नगर	योग
दो कक्षीय विद्यालय	0	01	01	02
तीन कक्षीय विद्यालय		46	06	52
चार कक्षीय विद्यालय		68	06	74
पाँच कक्षीय विद्यालय		12	02	14
5 से अधिक कक्ष वाले विद्यालय		46	09	55

10. शौचालय युक्त	150	शौचालय विहीन	33	शौचालय की आवश्यकता	33
11. हैण्डपम्प युक्त	147	हैण्डपम्प विहीन	23	हैण्डपम्प की आवश्यकता	23
12. चाहर दीवारी युक्त	54	चहार दीवारी विहीन	115	चहार दीवारी की आवश्यकता	115

स्रोत : विद्यालय सांख्यिकी

सारणी 2.09

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

क्र. स.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डी.पी.ई.पी.–2 वित्त आयोग में प्राविधान जिला योजना/अन्य	मांग	कमी	डी.पी.ई.पी.–2 वित्त आयोग में प्राविधान जिला योजना/अन्य	मांग
1.	नवीन विद्यालय	40	–	40	239	–	239
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	17	–	17	5	–	5
3.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	1679	–	1679	166	–	166
4.	पेयजल सुविधा	63	–	63	23	–	23
5.	शौचालय	139	–	139	33	–	33
6.	चहारदीवारी	579	–	579	115	–	115
7.	पुनर्स्थापना (नगर निगम)	58	–	58	–	–	–

स्रोत : विद्यालय सांख्यिकी

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना समाप्ति के उपरान्त अब भी वाराणसी जनपद के 759 प्राथमिक विद्यालयों तथा 184 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 22 पुनर्निर्माण, 1845 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 86 हैण्डपम्प, 172 शौचालय, तथा 694 विद्यालयों में चहारदीवारी की आवश्यकता है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उक्त कमियों को दूर करने का प्रस्ताव है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स (वाराणसी)

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य रहती रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की जाती रही। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व बी0ई0पी0 परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
कक्षा 1	100600	91345	100785	102466
कक्षा 2	89566	90850	97019	98044
कक्षा 3	68016	77711	81675	83253
कक्षा 4	52409	58609	66760	71413
कक्षा 5	45135	45197	60128	61253
योग	355726	363712	406367	416429
जी0ई0आर0				
कुल	75.60	75.08	92.62	93.10
बालिका	73.77	74.94	92.6	94.9
एन0ई0आर0				
कुल	75.23	75.02	92.60	92.86
बालिका	73.34	74.95	92.6	94.7

जनपद के नामांकन में औसतन 2.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालिकाओं के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के समतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :–

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	531	759	42.9
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	2591	3844	48.3

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 42.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं तथा शिक्षकों की संख्या में 48.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 6 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कुल	बालिका
1998	9.70	13.31	13.99	0.50	33	34
1999	0.50	0.50	1.24	0.50	27	26.6
2000	4.42	3.82	8.42	7.05	22	21.3

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर 33 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	–	6.01
1999	1.0	5.07
2000	1.48	5.95

रिपीटीशन दर मात्र 1.48 है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 5.95 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 – **1 : 64**

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 – **6.34**

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) – **1:65**

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:64 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:65 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़ें व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद - वाराणसी

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	10996	8877	7304	27177	-
1999-2000	12570	10184	8279	31033	14.2
2000-2001	14316	11244	9626	35186	13.4

स्रोत : विभागीय आंकड़ें

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है, जिसे स्थायित्व प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्राजिशन दर
1998-1999	28559	10996	-
1999-2000	31392	12570	44.0
2000-2001	35446	14316	45.6

स्रोत : विभागीय आंकड़ें

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा-5 उत्तीर्ण आधे से भी अधिक बच्चे कक्षा-6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	67	161	140%

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय अनुपात
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
ग्रामीण क्षेत्र	759	161	125	286	2.7 : 1
नगर क्षेत्र	123	24	57	81	1.5 : 1
योग	**882**	**185**	**182**	**367**	**2.4 : 1**

स्रोत : विभागीय आंकड़ें

यद्यपि वेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा-5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6-8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 2.7 : 1 है।

अध्याय – 3

नियोजन प्रक्रिया –

सर्व शिक्षा अभियान के सर्वजनिकरण का पहला राष्ट्रीय अभियान है यह केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है इसके अन्तर्गत नीचे से योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है इसमें बस्ती स्तर की योजनाओं का विकास खण्ड स्तर पर संग्रहीत करके जिले की शैक्षिक योजना तैयार की गयी है। इसमें प्रत्येक स्तर पर जनपद की सहभागिता प्राप्त की गयी है जनपद की योजना तैयार करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यकर्ताओं की कोर टीम गठित की गयी इस टीम ने निम्न लिखित प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं सर्वशिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना तैयार करने हेतु जिले में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत किये गये कार्यो पर संकलित आँकडो व सूचनाओं का पूर्ण उपयोग किया गया है इसका विवरण निम्नलिखित है।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6–11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आँकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिये इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994–95 में तथा दूसरा चरण 1998–2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आँकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई।

- ग्राम में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?

- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव है ?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात क्या है?
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते है ?
- शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्य नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवसियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण
5. सूक्ष्म नियोजन ऑकडों को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जायेगा तथा इनका उपयोग आगामी वार्षिक कार्ययोजना एवं वार्षिक वजट के निर्माण के समय ई. जी. एस./ए. आई. ई. के निर्धारण के किया जायेगा।

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी :–

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक–युवतियों, शिक्षक/शिक्षकाओं की एक सभा बुलाकर गॉव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गॉव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री पुरूष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रकिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 98–99 में

माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गाँव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आँकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/बस्तीवार आँकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–8 वर्ष तथा 9–14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे
(स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आँकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आँकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहाँ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आँकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियां (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज़) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

स्कूल चलो अभियान

मा0 मुख्यमन्त्री उ0प्र0 सरकार की घोषणा के अनुसार 6–14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले छात्र–छात्राओं को स्कूल में प्रवेश दिलाने हेतु **"स्कूल चलो अभियान"** के अन्तर्गत 1 जुलाई 2000 से 15 जुलाई 2000 तक जनपद वाराणसी में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार अभियान संचालित किया गया।

1. 1 जुलाई 2000 से 3 जुलाई 2000 तक कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार की गयी।
2. 4 जुलाई 2000 को जनपद स्तर पर प्रभात फेरी और संगोष्ठी का आयोजन ।
3. 6 जुलाई 2000 को ब्लाक स्तर पर प्रभात फेरी और संगोष्ठी का आयोजन ।
4. 7 जुलाई 2000 से 9 जुलाई 2000 तक न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभात फेरी एवं संगोष्ठी का आयोजन को ब्लाक स्तर पर प्रभात फेरी और संगोष्ठी का आयोजन
5. 7 जुलाई 2000 से 15 जुलाई 2000 तक प्रभात फेरी एवं नामांकन ।

वाराणसी जनपद में **"स्कूल चलो अभियान"** को सफल बनाने हेतु 30 जून 2000 को जिलाधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा युवा कल्याण विभाग के जनपदीय अधिकारियों की बैठक आहूत की गयी। बैठक में 04 जुलाई 2000 से 15 जुलाई 2000 के कार्यक्रम की व्यापक रूप तैयार की गयी तथा प्रत्येक विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र के लिए जिलास्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

4 जुलाई 2000 को वाराणसी जनपद में **"स्कूल चलो अभियान"** के अन्तर्गत मा0 श्री कलराज मिश्र मन्त्री लोक निर्माण एवं पर्यटन प्रभारी मन्त्री वाराणसी जनपद द्वारा प्रातः 7.00 बजे सिगरा स्टेडियम से छात्र/छात्राओं की प्रभात फेरी का शुभारम्भ किया गया। जिसमें मण्डल एवं जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों एवं शिक्षा विभाग तथा ऊपर उल्लिखित समस्त विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया, इस रैली को सफल बनाने हेतु जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों, अध्यापकों, पत्रकारों एवं छायाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दिनांक 4–7–2000 को सायं 7.00 बजे मा0 मन्त्री जी द्वारा नागरी नाटक मण्डली प्रेक्षागृहों में शिक्षा के अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आहूत की गयी जिसमें **"स्कूल चलो अभियान"** को सफल बनाने हेतु उनके द्वारा व्यापक निर्देश दिये गये।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 6–7–2000 को ब्लाक स्तर पर नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त विकास क्षेत्रों में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। यह प्रभात फेरी ब्लाक संसाधन केन्द्रों से प्रारम्भ होकर विभिन्न स्थानों से होते हुए खण्ड विकास

अधिकारी के कार्यालय तक पहुंच कर संगोष्ठी में तब्दील हो गयी। इस प्रभात फेरी में समस्त अध्यापकों/ग्राम प्रधानों/ग्राम पंचायत सदस्यों तथा छात्र/छात्राओं ने प्रविभाग किया।

वाराणसी जनपद के 108 न्याय पचांयत तथा 702 ग्राम पंचायत स्तर पर दिनांक 07 जुलाई 2000 से 09 जुलाई 2000 तक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। न्याय पचांयत स्तर पर प्रभात फेरी का नेतृत्व संकुल प्रभारियों द्वारा किया गया जिसमें न्याय पंचायत में स्थित समस्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासियों ने प्रतिभाग किया।

10 जुलाई 2000 से 15 जुलाई 2000 तक समस्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक के छात्र–छात्राओं एवं अध्यापकों द्वारा प्रातः 07 बजे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की बस्तियों में प्रभात फेरी निकाल कर स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने के लिए प्ररित किया जाता था, तथा 10 बजे विद्यालय खुलने पर दाखिला कराया जाता था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इस कार्यकम को सक्षम बनाने में गांव की पढ़ी लिखी महिलाओं ने बालिकाओं को प्रवेश दिलाने में व्यापक सहयोग प्रदान किया। **"स्कूल चलो अभियान"** के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है।

वर्ष 2000–2001 में नामांकन का लक्ष्य

वय वर्ग	सम्पूर्ण संख्या			विद्यालय में जाने वाले			विद्यालय में न जाने वाले		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6–11 वय वर्ग	212060	188353	400413	176381	162815	339196	35679	25538	61117
11–14 वय वर्ग	126546	104196	230742	82255	67727	149982	44291	36469	80660

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय न आने वाले बालक/बालिकाओं का विद्यालयों में प्रवेश का अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के अन्तर्गत जन सहभागिता के उत्साहवर्धक परिणाम रहे हैं। इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन में सहभागिता प्राप्त करने में विशेष सहायता मिली है।

सीमेट इलाहाबाद में 30 जनवरी से 1 फरवरी 2001

सर्वशिक्षा अभियान की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सीमेट इलाहाबाद में किया गया, जिसमें निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के सन्दर्भ में भारत सरकार के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त जिला पर्सपेक्टिव प्लान बनाने हेतु कार्य विधि के विषय में गहन प्रशिक्षण दिया गया और योजना तैयार करने का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया तथा पर्सपेक्टिव प्लान की तैयारी हेतु आवश्यक आंकड़ों के संकलन एवं नियोजन के सन्दर्भ में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से बताया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 5 से 6 फरवरी 2001 तथा 15 से फरवरी 2001 को राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान गुड़म्बा लखनऊ में प्रगति का अनुश्रवण किया गया।

जिला स्तरीय नियोजन प्रकिया :

जनपद में बस्ती स्तर से नियोजन प्रारम्भ करने हेतु सर्वप्रथम सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों को विकास खण्ड स्तर पर अद्यतन कराकर कम्प्यूटरीकृत किया गया हैं। आकड़ों का संकलन जिला स्तर पर कराकर कम्प्यूटरीकृत किया गया है। सुस्पष्ट एवं विशेष रणनीति तैयार करने में इन आंकड़ों की मदद ली गयी। तदोपरान्त जिले तथा विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों के बीच कार्य विभाजित किया गया और सभी को फोकस ग्रुप डिसकशन करने और जनता की सहभागिता प्राप्त करके प्रस्ताव तैयार करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गये। जिले में आयोजित की गई बैठकों तथा फोकस ग्रुप डिसकशन नीचे दिया गया है।

1. जिलाधिकारी वाराणसी की अध्यक्षता में जनपद के शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं जिला परियोजना समिति के अधिकारियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सर्वशिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान तथा वार्षिक कार्य योजना के प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की गयी और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया।

2. फोकस ग्रुप डिसकशन

सर्वशिक्षा अभियान की कार्ययोजना तैयार करने हेतु विकास खण्ड, न्याय पंचायत एवं ग्राम/बस्ती स्तर पर विभिन्न तिथियों में समाज के विभिन्न वर्गो विशेषकर उन समुदायों से विचार विमर्श किया गया जो शिक्षा में पिछड़े हुए है। इनका विवरण निम्न प्रकार है –

1. **ग्राम स्तर** – ग्राम शिक्षा समिति, गणमान्य व्यक्ति, अधिवंचित वर्ग के सदस्य, महिला प्रतिनिधि।

2. **विकास खण्ड स्तर :** ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से दलित वर्ग के तथा महिला प्रतिनिधि।

3. **जिला स्तर**

   (क) जिला बेसिक शिक्षा समिति – अध्यक्ष जिला पंचायत एवं सदस्य, मान विधायकगण, सदस्य जिला पंचायत एवं सदस्य गण।

   (ख) शिक्षक संगठन – प्राथमिक शिक्षक संगठन एवं माध्यमिक शिक्षक संगठन।

उपयुक्त स्तरों पर विभिन्न तिथियों में सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों तथा प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सुझाव आमन्त्रित किये गये। जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित है।

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक के विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
10 फरवरी 2001	कमौली चिरई गांव नरसौली चिरई गांव	अभिवंचित वर्ग के सदस्य महिला प्रतिनिधि ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अध्यक्ष युवक मंगल दल, ग्राम सभा सदस्य तथा अन्य ग्रामवासी	1. बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने कारण आवागमन की सुविधा का अभाव है। इसलिए बालिकाओं को दूर शिक्षा हेतु अभिभावक नहीं भेजते हैं। 2. विद्यालय में बच्चों के बैठने की सुविधा नहीं है। उन्हें बोरी लेकर विद्यालय जाना होता है। यहां तक की उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चो के लिए भी टाट–पट्टी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 3. बालकों की शिक्षा से परिवार लाभान्वित होता है। किन्तु बालिकाएं विवाहोपरान्त ससुराल चली जाती है, इसलिए लोग बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। 4. अभिभावकों की सोच है कि यदि बालिकाए स्कूल जायेगी तो परिवार के घरेलू कार्यो की देख–रेख कौन करेगा। इसलिए उन्हें विद्यालय नहीं भेजा जाता और घर के कार्यो में ही दक्ष बनाया जाता है।

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक के विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
10 फरवरी 2001	लोहता काशी विद्यापीठ	ग्राम प्रधान, स.बे.शिक्षा अ. मकतब के प्र.अ. बुनकर समिति के अध्यक्ष तथा अन्य मुस्लिम समुदाय के सदस्य	5. मुस्लिम समुदाय में दीनी शिक्षा धर्म सम्बन्धी होने के कारण दी जाती है और उन्हें उर्दू भाषा की भी जानकारी करायी जाती है। इसलिए सामान्य विद्यालयी शिक्षा से इस वर्ग के बच्चे वंचित रह जाते है। इस समुदाय में अधिक पर्दा प्रथा होने के कारण बालिकाओं के बड़ी होने पर घर से बाहर भेजने में माता–पिता आपत्ति करते है। जिसके कारण इस समुदाय की बालिकायें उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है।
10 फरवरी 2001	देईपुर सेवापुरी	ग्राम प्रधान, बुनकर समुदाय के अन्य सदस्य ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एस.डी. आई. अनुसूचित जाति की शिक्षित महिलायें	6. कालीन बुनाई द्वारा बच्चों को 15 रू. प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। इसलिए गरीब परिवार अथवा बुनकर पेशा के बच्चे अपनी गरीबी के कारण विद्यालय न जाकर अपने घर में ही बुनाई का कार्य करते हैं। इसलिए विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। 7. जिन बस्तियों में भवन निमार्ण कार्य प्रस्तावित हो वहां के ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक को भी तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाय।
11 फरवरी 2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र चिरईगांव	अध्यक्ष एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत, खण्ड विकास अधीकिरी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उपविद्यालय निरीक्षक एवं अन्य जनप्रतिनिधि संख्या 20 से 25 तक	8. परिषदीय विद्यालयों में प्रायः यह देखा जा रहा है कि छात्रों की संख्या के अनुसार अध्यापक नहीं रखे गये हैं। ऐसी स्थिति में बच्चें प्रायः कक्षा से बाहर घूमते रहते है और पढ़ाई में उनकी रूचि घटती जाती है। 9. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विषय के अनुसार शिक्षक नहीं होते है। यदि होते भी है तो स्तर के अनुसार शिक्षा नहीं दे पाते है। जिससे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षा का स्तर गिर रहा है। 10. नगर क्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों की हालत बहुत दयनीय है। नर्सरी एवं मान्टेसरी विद्यालयों की तुलना में परिषदीय विद्यालय आकर्षक नहीं है। इसलिए कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को इन विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते है।
11 फरवरी 2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र सेवापुरी	अध्यक्ष एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत, खण्ड विकास अधीकिरी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उपविद्यालय निरीक्षक एवं अन्य जनप्रतिनिधि संख्या 20	11. नगर क्षेत्र के मलीन बस्तियों में कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। 12. नगर निगम वाराणसी में बहुत से विद्यालय किराये और मंगनी के है और उनकी स्थिति बहुत जरजर है। बहुत से विद्यालय बन्द हो चुके है। यदि इन्हें मलीन बस्तियों में पुनर्स्थापित कर दिया जाय तो निर्धन वर्ग के बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।
11 फरवरी 2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र अराजीलाइन	अध्यक्ष एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत, खण्ड विकास अधीकिरी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उपविद्यालय निरीक्षक एवं अन्य जनप्रतिनिधि संख्या 20	13. अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य भी लिये जाते हैं। जिसके कारण कार्य दिवसों की संख्या बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति मं अध्यापक अपना पूरा पाठ्यकम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। 14. प्रभावी निरीक्षण हेतु समन्वयकों, सहसमन्वकों संकुल प्रभारियों की शैक्षिक योग्यता में बृद्धि की जाय क्योंकि योग्यता की कमी के कारण निरीक्षण प्रभारी नहीं हो पाता।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपातिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है।

Co-ordination with various deptt.

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थे उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6.11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11.14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – वाराणसी

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	246246	222795	469041	220542	195887	416429	89
2001-02	251910	227919	479829	246872	223360	470232	98
2002-03	257704	233161	490865	278320	251814	530134	108
2003-04	263631	238524	502155	297903	269532	567435	113
2004-05	269695	244009	513704	310149	280610	590759	115
2005-06	275897	249622	525519	322799	292058	614857	117
2006-07	282243	255363	537606	335869	303882	639751	119
2007-08	288735	261236	549971	346482	313483	659965	120
2008-09	295375	267245	562620	354450	320694	675144	120
2009-10	302169	273391	575560	362603	328069	690672	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – वाराणसी

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	102465	92706	195171	82255	67727	149982	84
2001-02	104822	94838	199660	92243	83458	175701	88
2002-03	107233	97020	204252	99726	90228	189954	93
2003-04	109699	99251	208950	107505	97266	204771	98
2004-05	112222	101534	213756	114466	103564	218031	102
2005-06	114803	103869	218672	120543	109062	229606	105
2006-07	117444	106258	223702	125665	113696	239361	107
2007-08	120145	108702	228847	130958	118485	249443	109
2008-09	122908	111202	234110	135199	122322	257521	110
2009-10	125735	113760	239495	138309	125136	263444	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	22	10
2001-02	18	9
2002-03	14	8
2003-04	11	7
2004-05	8	6
2005-06	5	5
2006-07	2	4
2007-08	0	3
2008-09	0	2
2009-10	0	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय – 5

समस्यायें और रणनीतियाँ

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत रूप में समाज की सहभागिता प्राप्त करने हेतु अपनायी गयी है। इसी को सार्थकता प्रदान करने के लिए शिक्षा से जुड़े विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों, अभिभावक संघों शिक्षक संगठनों तथा ग्राम प्रधानों एवं जनपद में विभिन्न स्तरों पर करायें गये फोकस ग्रुप डिस्कशन में प्राप्त विचारों के विश्लेशणोपरान्त जनपद में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों के सुदृढीकरण में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाये जाने का प्रस्ताव है। इसमें विशेष रूप से स्कूल के बाहर सभी बच्चो को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन बच्चो को औपचारिक अथवा ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. केन्द्रों में ठहराव बनाये रखने के लिए गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया जायेगा। विभिन्न नामांकन अभियानों के माध्यम से विद्यालय नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। किन्तु काफी मात्रा में बच्चे ड्राप आउट कर जाते हैं। अतः सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूल से बाहर के बच्चो का नामांकन कराने के साथ ही स्कूल में अध्ययनरत बच्चों का ठहराव बढ़ाने पर मुख्य बल रहेगा और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

समस्यायें/मुद्दे	रणनीति
(अ) पहुँच : 5:1 जनपद के सूदुर अंचल में विद्यालयों की कमी	जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना की समाप्ति के उपरान्त भी कुछ ऐसी बस्तियाँ अब भी शेष है जहाँ पर राज्य सरकार के मानक अनुसार प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय की कमी है। ऐसी बस्तियों को चिन्हित कर जनपद में 40 प्राथमिक तथा 1:2 के अनुपात में 239 पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है।
5:1 शिक्षा की उपादेयता के प्रति अविश्वास	वर्तमान में बढती हुई बेरोजगारी को देखते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा तथा बालिकाओं के लिए सिलाई कढ़ाई, फल संरक्षण तथा अन्य शिल्पों से सम्बन्धित व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को विद्यालय के पाठ्यक्रम में समाहित करने का प्रस्ताव है तथा जनपद के सभी विकास क्षेत्रों में एन. पी. आर.सी. स्तर पर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव है।
5:3 पिछड़े, दलित, एवं श्रमिक बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा का अभाव	जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े, दलित एवं श्रमिक बच्चों के लिए तथा नगर क्षेत्र के मलीन बस्तियों में अपने पेशे के साथ जुड़े हुए स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा का प्रस्ताव है।

समस्यायें/मुद्दे	रणनीति
5:4 परिषदीय विद्यालयों का स्वरूप आकर्षक नहीं है।	इस जनपद के प्रथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जायेगा और आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।
5:5 कोष्ठोपकरण तथा साज सज्जा की कमी।	मान्यता प्राप्त नर्सरी एवं कान्वेन्ट विद्यालयों की तुलना में साज–सज्जा एवं काष्ठोपकरण की कमी है। सर्व शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद के सभी पूर्व माध्यमिक विद्याल्य में फिक्स, डेस्क, बेन्च तथा प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त टाट–पट्टी की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का प्रस्ताव है।
5:6 शिक्षण कक्षों की कमी	जनपद के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की छात्र संख्या एवं वर्ग के अनुसार शिक्षण कक्षों की कमी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।
(ब) नामांकन 5:1 सामाजिक पिछड़ापन एवं निर्धनता	अब भी समाज के निर्धन एवं पिछड़े लोगों में शिक्षा के प्रति अरूचि है। ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय सहभागिता नवयुवक मंगल दल, महिला समाख्या एवं अन्य स्वालम्बी संस्थाओं के माध्यम से दलित तथा पिछड़ों वर्गों में शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न की जायेगी, तथा खाद्यान, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।
5:2 गरीबों/विशेष रूप से अनुसूचित जाति की बालिकाओं के प्रवेश की समस्या	महिला सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय पढ़ी–लिखी महिलाओं के माध्यम से गरीब एवं विशेष रूप से अनुसूचित जाति की बालिकाओं को उत्साहित एवं जागरूक किया जायेगा तथा प्रत्येक ग्राम / बस्ती में शिक्षित महिलाओं का संसाधन समूह गठित किया जायेगा।
5:3 अभिभावकों के मजदूरी पर जाने पर बालक/बालिकाओं द्वारा घर का कामकाज सम्भालने की समस्या	घरेलू कार्यों में संलग्न बालक/बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा का प्रस्ताव है।
5:4 बालक/बालिकाओं का घरेलू व्यवसाओं में संलग्नता	माइक्रों प्लानिंग सर्वेक्षण के आधार पर कामकाजी बच्चों के लिए ई.जी.एस. /वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।
5:5 धार्मिक अवरोध	प्रायः मुस्लिम समुदाय की छात्र/छात्रा मकतब/मदरसों की शिक्षा तक सीमित रह जाते हैं। इस प्रकार के धार्मिक अवरोध को दूर करने के लिए उसी सम्प्रदाय के शिक्षित युवक/युवतियों द्वारा प्रचार–प्रसार का प्रस्ताव है।

समस्यायें / मुद्दे	रणनीति
(ग) ठहराव (रिटेन्शन)	
5:1 विद्यालीय शिक्षा के प्रति अरूचि के कारण शाला त्याग करने की समस्या	बेसिक शिक्षा परियोजना में पुनरीक्षित पाठ्यक्रम व रोचक नवीन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर आकर्षक खेल सामग्रियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
5.2 छात्रों द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद भी अधिगम का न्यूनतम स्तर प्राप्त न कर पाने के कारण शाला त्याग की समस्या	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए अध्यापको के अभिनवीकरण प्रशिक्षण कराये जाने का प्रस्ताव है। जिससे छात्रो के न्यूनतम अधिगम स्तर में बृद्धि की जा सके।
5.3 विद्यालय में पठन–पाठ्न प्रक्रिया के सफल व उपादेय होने के प्रति अभिभावकों में विश्वसनीयता के आभाव से भी शाला त्याग की समस्या।	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव है। जिससे शिक्षा की उपादेयता के प्रति अभिभावकों में विश्वसनीयता लाकर शाला त्याग की समस्या समाप्त की जा सकेगी।
5:4 विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं की कमी।	विद्यालय में छात्र / छात्राएं बैठने के लिए बोरियां लेकर न आये तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र जमीन पर बैठने में असुविधा महसूस करते हैं। इस लिए प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त टाट–पट्टी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क बेन्च की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
5:5 विज्ञान की शिक्षा के लिए अपेक्षित संसाधनों की कमी	शिक्षा में स्थानीय अवश्यकतों के अनुसार पाठ्यक्रम में शिल्प एवं कम्प्यूटर की शिक्षा का प्रस्ताव है प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में अपेक्षित वैज्ञानिक उपकरणों को प्राप्त कराये जाने का भी प्रस्ताव है।
5.6 शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता एवं क्षमता तथा व्यवहार कुशलता में ह्रास	शिक्षकों में छात्रों के प्रति अपनत्व एवं लगाव की भावना जागृत करने हेतु नैतिक शिक्षा प्रशिक्षण, शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन, कार्यों के प्रति समर्पण / उदासीनता के लिये पुरस्कार / दण्ड की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

समस्यायें/मुद्दे	रणनीति
5.7 सक्षम निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की कमी	समक्ष निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के अभाव में शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता व्याप्त है। इसे दूर करने का प्रस्ताव है।
(द) गुणवत्ता सम्बन्धी	
5.1 छात्र संख्या के बृद्धि के फलस्वरूप अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य निष्प्रभावी होने की समस्या	छात्र/अध्यापक अनुपात बनाये रखने के लिए अध्यापक/शिक्षा मित्र की व्यवस्था कराने का प्रस्ताव है। क्रमांक अ, ब एवं स में अपनायी गई सभी रणनीतियाँ इस समस्या के समाधान में उपयोगी सिद्ध होगी।
5.2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयानुसार शिक्षकों की कमी।	जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयानुसार शिक्षकों की नियुक्तियाँ जा जानी चाहिए तथा उनकी योग्यता में वृद्धि कर स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
5.3 अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्यो का निष्पादन	निर्वाचन, जनगणना दो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यो के अतिरिक्त अध्यापकों को अन्य किसी कार्य में न लगाया जाय तथा सूचनाओं के संकलन का कार्य विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत कराने का प्रस्ताव है।
5.4 अध्यापक/अभिभावक सामंजस्य की कमी	अध्यापक/अभिभावकों की विद्यालय में त्रैमासिक बैठकें आयोजित कर छात्रों की शैक्षिक योग्यता एवं उनके क्रियाकलाप की जानकारी देने का प्रस्ताव है। विशेष रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालयों यह नितान्त आवश्यक है।
5.5 सतत मूल्यांकन का अभाव	शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए सतत मुल्यांकन की प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण है। मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के द्वारा सतत मूल्यांकन का प्रस्ताव है। छात्रों में प्रतिस्पर्धा जागृत करने के लिए कक्षा में प्रथम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा पुरस्कृत किये जाने का प्रस्ताव है।
(य) संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी	
5.1 विद्यालय में शिक्षण कक्षों की कमी	इस परियोजना के अन्तर्गत परिषदीय शिक्षण संस्थाओं में छात्र संख्या एवं वर्ग के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण का प्रस्ताव है।

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार– नये विद्यालयों की स्थापना

नवीन विद्यालयों की स्थापना

जनपद–वाराणसी में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत माइक्रोप्लानिंग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप 300 से अधिक आबादी वाली बस्ती तथा 1.5 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित असेवित बस्तियों में 220 प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना की समाप्ति के उपरान्त भी ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर अंचल में जनसंख्या बृद्धि के फलस्वरूप 1991 की जनगणना के आधारभूत ऑकड़ों पर अपनाये गये मानक में परिवर्तन आया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामों के साथ–साथ बस्तियों को ध्यान में रख कर कार्ययोजना तैयार करने का प्रस्ताव है। ग्राम शिक्षा योजना से प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर पहुँच के विस्तार के सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार किये गये है।

प्राथमिक स्तर

6.1 असेवित ग्राम/बस्तियाँ

जनपद में पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त वर्तमान मानक के अनुसार निम्नलिखित सारणी के अनुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इससे जनपद में सभी असेवित बस्तियों में औपचारिक विद्यालय उपलब्ध हो जायेगे।

सारणी 6.1

क्रमांक	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्रामों/बस्तियों की संख्या	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	मानकों के अनुसार असेवित बस्तियों की सख्या
1.	आराजी लाईन	209	113	06
2.	काशी विद्यापीठ	120	79	04
3.	बड़ागॉव	133	79	05
4.	सेवापुरी	177	85	07
5.	चिरईगॉव	133	93	06
6.	चोलापुर	140	101	04
7.	हरहुआ	169	90	04
8.	पिण्डरा	183	113	04
	योग	1264	759	40

स्रोत : विभागीय आंकड़े ।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11489
DOC, No..................
Date........09-07-2002

उपरोक्त समस्त अवेसित बस्तियों में खोले जाने वाले 40 नवीन प्राथमिक विद्यालयों में भवन के अतिरिक्त शौचालय, पेयजल, चहारदीवारी एवं आवश्यक आधारभूत शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध होगी।

सारणी 6.2
भवन निर्माण कार्य

क्र.स.	विद्यालय प्रकार	भवन	शौचालय	हैण्डपम्प	चहार दिवारी
1.	प्राथमिक	40	40	40	40

इस प्रकार नवीन चयनित प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण का कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा और इन कार्यो में समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

शिक्षकों की व्यवस्था

मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 1 प्रधानाध्यापक तथा 1 शिक्षा मित्र की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

सारणी 6,3

क्रमांक	विद्यालयों के प्रकार	प्रधानाध्यापक की संख्या	शिक्षा मित्र की संख्या
1.	प्राथमिक स्तर	40	40

शिक्षण सामग्री एवं काष्ठोपकरण –

जनपद में नवीन प्रस्तावित कुल प्राथमिक विद्यालय की संख्या 40 है। मानक के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर रू0 15000/– की दर से शिक्षण सामग्री/काष्ठोपकरण कय करने का प्रस्ताव हैं।

शिक्षण सामग्री :

इसके अन्तर्गत बौद्धिक खेल–कूद ब्लाक, शैक्षिक खिलौने, मिनी टूल्स किट, गणित किट, विज्ञान किट जनपद प्रदेश तथा देश का मानचित्र शैक्षिक चार्ट, ग्लोब तथा अध्यापकों के लिए शब्दकोष तथा टाट–पट्टी कय किया जायेगा।

कोष्ठोपकरण एवं अन्य सामग्री

नवीन प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक अध्यापक के लिए एक कुर्सी तथा एक मेज कय की जायेगी, जिसमें कुर्सी प्लास्टिक की तथा मेज शीशम/सागौन की लकड़ी की होगी। प्रत्येक विद्यालय में लोहे की बाल्टी, लोटा, गिलास, लोहे का घण्टा,, लकड़ी की मुगरी, एक ढोलक, पीतल का मजीरा, दस बासुरी, एक हारमोनियम, लकड़ी का तीन कुड़ादान, एक आलमारी, दो फुटबाल, दो बालीबाल, रबड़ की पांच रिंग, रबड़ की दस गेद, कूदने की चार रस्सी, पर्याप्त चौड़ा टायर, हवा भरने का पम्प तथा ज्ञान कोष आदि सामग्रियां सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त समस्त सामग्रियों का कय ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव/अनुमोदन से किया जायेगा।

6.2. असेवित ग्राम/बस्तियां उच्च प्राथमिक स्तर

जनपद वाराणसी में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत माइक्रोप्लानिंग सर्वेक्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन के मानक के अनुरूप 800 से अधिक आबादी तथा 3 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित असेवित बस्तियों में 94 उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। परन्तु उपरोक्त मानक के अनुसार जनपद में 24 बस्तियां अब भी असेवित हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बदले हुए मानक के अनुसार प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालय पर 1 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी। इस प्रकार जनपद में पूर्व से संचालित तथा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित 40 प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित करने पर कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 799 हो जायेगी। फलस्वरूप 1:2 के अनुपात में कुल 400 उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता होगी। जनपद में कुल 161 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। इस प्रकार 400 – 161 = 239 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है जैसाकि निम्नलिखित सारणीयन से स्पष्ट है ।

सारणी 6.2.1

क्रमांक	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्रामों/बस्तियों की संख्या	3 कि.मी. मानक के अनुसार असेवित ग्राम / बस्तियां	प्रा. विद्यालयो की संख्या प्रस्तावित विद्यालयों को सम्मिलित कर	1.2 के अनुसार आवश्यकता वर्तमान उ.प्रा. विद्यालयों को घटाकर
1.	आराजी लाईन	209	04	119	34
2.	काशी विद्यापीठ	120	02	83	24
3.	बड़ागॉव	133	03	84	28
4.	सेवापुरी	177	05	92	30
5.	चिरईगाँव	133	02	99	30
6.	चोलापुर	140	02	105	30
7.	हरहुआ	169	02	84	29
8.	पिण्डरा	183	04	117	34
	योग	1264	24	799	239

स्रोत : विभागीय शैक्षिक आकड़े।

जैसाकि अध्याय 2 सारणी 2.7 के नीचे उल्लेख किया गया है, प्रति 2 प्राथमिक विद्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी और इस आधार पर 239 नये उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इन विद्यालयों की स्थापना के पश्चात स्वतः ही सभी असेवित वस्तियां सेवित हो जायेगी।

उपरोक्त समस्त असेवित बस्तियों में खोले जाने वाले 239 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन के अतिरिक्त शौचालय, पेयजल, चहारदीवारी, काष्ठोपकरण आदि आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार नवीन चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा और इन कार्यों में समुदाय की सक्रिय सहभागिता ली जाएगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में भी यह कार्य ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा सफलता पूर्वक सम्पादित किया गया था।

सारणी 6.2.2

कमांक	विद्यालय प्रकार	भवन	शौचालय	हैण्डपम्प	चहार दिवारी
1.	उच्च प्राथमिक	239	239	239	239

स्रोत : विभागीय आधारभूत आंकड़े ।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुये की जायेगी। जिसमें प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

शिक्षकों की व्यवस्था

मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापकों की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

सारणी 6.2.3

कमांक	विद्यालयों का प्रकार	प्रधानाध्यापक संख्या	सहायक अध्यापक की संख्या
1.	उच्च प्राथमिक	239	956

शिक्षण सामग्री एवं काष्ठोपकरण

जनपद में नवीन प्रस्तावित कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 239 है। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 50,000/– की दर से निम्नाकिंत शिक्षण सामग्री एवं कोष्ठोपकरण कय किये जाने का प्रस्ताव है।

शिक्षण सामग्री :

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सामग्री के अन्तर्गत प्रत्येक कक्षा के पाठ्यकम की दो प्रतियां कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के पाठ्यकम की पुस्तिकों का 2 सेट, अध्यापक सदर्शिका का 1 सेट, हिन्दी, अग्रेजी का शब्दकोष, एटलस अध्यापकों के लिए विश्व कोष तथा स्काउन्टिग, योगासन, प्राथमिक चिकित्सा, पशु–पक्षी, वर्णमाला, पहाड़ा, प्रदूषण सन्तुलित आहार एवं स्वतन्त्रता के पुनीत स्थल सम्बन्धी चार्ट कय किये जायेंगे। विश्व एशिया, भारत, राज्य, जनपद का भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक मानचित्र, ग्लोब विज्ञान किट एवं प्रत्येक कक्षा के लिए श्यामपट, टूल किट, आडियो कैसेट प्लेयर जो बैट्री चालित होगा कय किया जायेगा।

क्रीड़ा सामग्री :

इसके अन्तर्गत 2 फुटबाल, 2 वालीबाल, 10 स्कीपिंग रोल एवं 1 एयर पम्प क्रय किया जायेगा।

वाद्य यन्त्र :

प्रत्येक विद्यालय में 1 हारमोनियम, 1 ढोलक, 10 बासुरी, 2 जोड़े मजीरे क्रय किये जायेगे।

काष्ठोपकरण :

प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक के लिए 1 कुर्सी, 1 मेज क्रय किया जायेगा जो पक्के शीशम/ सागौन की लकड़ी से निर्मित होगा।

अन्य सामग्री :

अन्य सामग्री के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में 1 लोहे की बाल्टी, स्टील का लोटा, गिलास तथा लोहे का घण्टा, लकड़ी की मुगरी एवं आलमारी तथा 3 कूड़ादान जो लकड़ी का निर्मित होगा क्रय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में प्रतिवर्ष रू. 600/– तक पत्र–पत्रिकाओं के अन्तर्गत विज्ञान प्रगति, आविष्कार पत्रिका, बाल भारती तथा अन्य शैक्षिक पत्रिकाएं क्रय की जा सकती है।

नगरीय क्षेत्र –

नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में 1:40 का अनुपात न होने के कारण अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं की जा रही है तथा मानक के अनुसार कोई वार्ड/मुहल्ला असेवित नहीं है। इसलिए विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है। मात्र 30 विद्यालयों को पुर्नस्थापित तथा समस्त विद्यालयों को भौतिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रस्ताव है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय – 7

शिक्षा के पहुँच का विस्तार

शिक्षा गारन्टी योजना / वैकल्पिक शिक्षा / नवाचार शिक्षा योजना

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को दिनांक 31/03/2001 को समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1/04/2001 से नवीन परिवर्तित योजना ई.जी.एस./ए.आई.ई. चालू करने का निर्णय लिया जा चुका है।

ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रम का लक्ष्य समूह 6–14 वय वर्ग के बच्चें होगे। विकलांग बच्चों के लिए यह आयु 18 वर्ष तक होगी। इस योजना का लक्ष्य समूह 6–14 वय वर्ग के वंचित बच्चें जो औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नहीं जा पा रहे अथवा ड्राप आउट हो रहे हैं, होगें।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

1. शिक्षा गारण्टी योजना
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र
3. ग्रीष्मकालीन शिविर / ब्रिज कोर्स

शिक्षा गारन्टी योजना :

सर्व शिक्षा अभियान में ऐसी असेवित बस्तियों में जहाँ 1 कि0मी0 की परिधि में विद्यालय नहीं हैं, 6–8 वय वर्ग के 30 बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा 1 व 2 के लिए ई0जी0एस0 केन्द्र (शिक्षा गारन्टी योजना) खोले जायेंगे। इस केन्द्र के कार्यरत आचार्य को केन्द्र के उत्तीर्ण छात्र/छात्रा का प्रवेश औपचारिक विद्यालय में कराना आवश्यक होगा यह प्रवेश किसी भी समय विद्यालय में कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन केन्द्रों का नियोजन जनपद की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर किया गया है।

उक्त योजना के तहत जनपद वाराणसी के ग्रामीण आंचल में माइक्रोप्लानिंग के आधार पर असेवित बस्तियों से 1 कि0मी0 की परिधि में विद्यालय न होने की स्थिति में कुल 185 शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों का प्रस्ताव पूर्ण रूप से उन बस्तियों में किया गया है जहाँ कक्षा 1 और 2 के लिए 30 बच्चों की उपलब्धता रहेगी। इन केन्द्रों में कुछ दूरी एवं कुछ प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण 6–8 वय वर्ग के बच्चों की पहुँच औपचारिक विद्यालयों में नहीं हो पा रही है, जिससे यह बच्चें शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे है।

वैकल्पिक शिक्षा योजना :

जनपद में 40 प्राथमिक तथा 121 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने के बाद ही कुछ बस्तियाँ शेष रह जायेगी। जो पहुँच की सीमा से बाहर होगी। इसके अतिरिक्त कुछ कामकाजी बच्चे घुमन्तू बच्चे सचल पटिवारों के बच्चे एवं विकलांग बच्चे शेष रह जायेंगे। जिसके लिये शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक होगी। यहाँ यह भी तथ्य ध्यान देने योग्य है कि वाराणसी नगर भले ही औद्योगिक नगर नहीं है। परन्तु इसका अपूर्व धार्मिक एवं

सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ देश भर से घुमन्तू बच्चे वर्ष भर आते रहते रहते हैं जो होटलों अथवा दुकानों पर कार्य करते हैं अथवा अपराधी तत्वों के साथ होकर छोटे–मोटे अपराध में लिप्त हो जाते हैं। काम की तलाश में आने वाले व्यक्तियों के परिवारों के बच्चे भी सड़कों एवं बस स्टेशनों अथवा रेलवे स्टेशनों पर भीख माँगने, जूता पालिस, करने मूंगफली बेचने आदि कार्यों में लिप्त हैं तथा बाद में इस प्रकार के बच्चें बड़े होने पर अपराधी प्रकृति के हो जाते हैं, जो समाज के लिए कष्ट कारक बन जाते हैं।

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने से मनोवैज्ञानिक दबाब के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चें विशेष कर बालिकायें कामकाजी तथा बालश्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवा चार शिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन, ग्रीष्मकालीन शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों, ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतबों/मर्दसों में बालक/बालिकाओं की गुणवत्ता परख शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्यों से इनके क्षेत्रों में भी ए0आई0ई0 योजना की व्यवस्था जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जायेगी।

मुख्यतः झुग्गी झोपड़ियों, मलीन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से अच्छादित स्थलों जहाँ पर 6–14 वय वर्ग के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चें उपलब्ध होंगे, वहाँ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगें। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय कराया जा सकता है। इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई पूर्ण कर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा की किसी विद्यालय में उपयुक्त कक्षा से किसी भी समय में प्रवेश कराया जा सकेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निकट के प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्याकों द्वारा प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की जायेगी। यह इस योजना का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य हैं कि केन्द्र की शिक्षा समाप्त करने के बाद छात्र पुनः अपने पुराने परिवेश में वापस न हो जाय।

सर्वशिक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में 500 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलना प्रस्तावित है। वाराणसी में कालीन एवं साड़ी बनाने के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 6–14 वय वर्ग के बच्चें इन कार्यों में व्यस्त रहने के कारण औपचारिक विद्यालय में अपना पूरा समय नहीं दे पाते हैं। इसी प्रकार ईंट के भट्ठे पर कार्य करने वाले माता–पिता के बच्चें पूरे वर्ष एक ही स्थान पर निवास न कर पाने के कारण अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलाते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के बच्चे मुख्यतः बालिकायें अपने परिवेश के कारण एवं परिवार समय में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। ऐसे बच्चों की कठिनाई को रखते हुए इन केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त केन्द्रों की संचालन अवधि 4 घण्टे दिन के समय होगी। यथा सम्भव स्थानीय व्यक्ति द्वारा शिक्षण कार्य सम्पादित कराया जायेगा और रू. 1000/– प्रतिमाह के मानदेय पर संविदा पर रखें जायेगे। इन अनुदेशकों के लिए शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व 30 दिन प्रतिवर्ष पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी हैं तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित एवं संवेदित करने हेतु मण्डल/जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं की व्यवस्था की जायेगी।

उक्त केन्द्रों का प्रस्ताव जनपद में करायी गई माइक्रोप्लानिंग के आधार पर की जायेगी । जो निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है –

सारणी– 7.1

क्रमशः	क्षेत्र पंचायत का नाम	शिक्षण गारन्टी योजना	वैकल्पिक शिक्षा	ग्रीष्म कालीन शिक्षा / बृज कोर्स
1.	आराजी लाइन	25	60	01
2.	काशी विद्यापीठ	16	40	01
3.	बड़ा गाँव	15	45	01
4.	सेवापुरी	27	55	01
5.	चिरई गाँव	20	55	01
6.	चोलापुर	22	50	01
7.	हरहुआ	18	45	01
8.	पिण्डरा	22	55	01
9.	रामनगर म.पा.	05	05	01
10.	नगर निगम	15	90	03
	योग	**185**	**500**	**12**

स्रोत : माइक्रोप्लानिंग सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े।

नवाचार शिक्षा योजना

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर

सड़क, प्लेटफार्म मलीन बस्तियां, दूकानों, धुमन्तू बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगिरी, कूड़ा बीनने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक जेल में निरूद्ध है, अथवा बालश्रमिक जिनका वय वर्ग सामान्यतः 6–14 वर्ष है के लिए ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किये जायेंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में लाने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक विकास क्षेत्र में एक–एक तथा नगर निगम में तीन ग्रीष्म कालीन शिक्षा/ब्रिज कोर्स की स्थापना का प्रस्ताव है।

इन शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह तक की हो सकती है। इसनें बच्चों की निर्धारित संख्या 50 होगी तथा यह शिविर पूर्णतः आवासी होगे। इन शिविरों में बच्चों को रहने खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत इस शिविर के लिए 1 केयर टेकर, 2 पैरा टीचर, 1 रसोईयां एवं 1 चौकीदार की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन शिविरों का निर्धारण भी माइक्रोप्लानिंग के आधार पर प्रस्तावित है।

वाराणसी जनपद का परिदृश्य एवं योजना

बच्चों के लिए नवीन पहल –

जनपद वाराणसी में 6–14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों की संख्या 453932 है। जिसमें लड़कों की संख्या 244717 तथा लड़कियों की संख्या 209215 है। इनमें से कुल 412174 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित अथवा मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त तथा निजी विद्यालयों में पंजीकृत है। इस प्रकार 41758 बच्चे जो विभिन्न कारणों से विद्यालय से बाहर है। उन बच्चों को ही सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वैकल्पिक केन्द्रों अथवा औपचारिक विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा जोड़ा जाना आवश्यक है। जनपद में ऐसे बच्चों को चिन्हीकरण कर विशेष स्थलों का चयनकर उनका निम्नवत वर्गीकरण किया गया है।

क्र. स.	बच्चों के वर्ग		चिन्हित स्थल
1.	शहरी मलीन बस्तियों में बच्चे विशेषतः बालिकायें		डूडा चिन्हित 209 बस्तियाँ एवं नगर सीमा अन्तर्गत 146 अनाधिकृत मलीन बस्तियाँ।
2.	बालश्रमिक एवं सम्भावित बालश्रमिक	1.	नगर निगम के अन्तर्गत बजरडीहा, जोल्हा, मदनपुरा लल्लापुरा। बड़ी बाजार, जलालीपुरा, कज्जाकपुरा, चौहट्टा, लालखा, बुनकर कालोनी, बाकराबाद, सलेमपुरा
		2.	ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत काशी विद्यापीठ, अराजीलाइन सेवापुरी, बड़ागाँव, पिण्डरा, हरहुआ, चोलापुर एवं चिरईगाँव के कालीन एवं साड़ी बुनकर ग्राम
3.	कबाड़ बीनने वाले बच्चे		नगर निगम के बजरडीहा, शिवपुरवा, माधोपुर, छित्तूपुरा, लहरतारा, दौलतपुर, पहड़िया, सोना तालाब, कज्जाकपुरा
4.	अनाथ, निराश्रित, बेसहारा एवं भिक्षुक बच्चे		वाराणसी कैन्ट, वाराणसी सीटी, काशी एवं मण्डुवाडीह, रेलवे स्टेशन एवं जनपद के समस्त बस स्टेशन गंगा के घाट मुख्यतः दशाश्वमेध, शीतला घाट, विश्वनाथ गली, सारनाथ एवं अन्य धार्मिक पर्यटक स्थल
5.	कुष्ठ रोगियों के बच्चे		दशाश्वमेघ घाट एवं सभी धार्मिक व पर्यटन महत्व के स्थल
6.	तवायफों के बच्चें मुख्यतः लड़किया		शिवदासपुर घाट एवं सभी धार्मिक व पर्यटन महत्व के स्थल
7.	नशे के आदी एवं एच0आई0वी0 एड्स से ग्रस्त अभिभावकों के बच्चे		विभिन्न शहरी एवं देहाती क्षेत्र
8.	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता के शिकार बच्चे		विभिन्न शहरी एवं देहाती क्षेत्र

विशेष पहल :

वाराणसी जनपद के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में ऐसे बच्चों के लिए यदि विशेष सुविधाएँ उपलब्ध होती तो निश्चित ही आज 41758 बच्चे विद्यालयों से बाहर न होते, जाहिर है कि ऐसे बच्चों एवं उनके अभिभावकों की सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक एवं सांवेगिक स्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेज सके। अतः ऐसे बच्चों एवं उनके परिवारों के लिए सामुदायिक गतिशीलता के साथ एक नयी पहल प्रारम्भ करनी होगी। जिसके लिए चरणबद्ध कार्ययोजना इस प्रकार होगी।

कार्ययोजना

प्रथम चरण : सर्वप्रथम ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए एक सघन सर्वेक्षण की आवश्यकता हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि 3 माह की होगी। इसमें उक्त विशेष चिन्हित स्थलों के स्कूल न जाने वाले बच्चों एवं उनके परिवारों को सम्मिलित किया जायेगा।

द्वितीय चरण : सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर ऐसे बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षणशाला पुर्न प्रवेश शिविर सेतु पाठ्यक्रम एवं बालिका शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इस चरण की अवधि 6 माह की होगी।

तृतीय चरण : वैकल्पिक शिक्षा से औपचारिक शिक्षा की ओर उन्मुखीकरण का प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त जीवनोपयोगी एवं प्रसांगिक शिक्षा के साथ–साथ रोजगार परख व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रारम्भ किया जायेगा। यह अवधि 3 साल तक चलेगी।

चतुर्थ चरण : चतुर्थ चरण में ऐसे बच्चों के शिक्षा एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उपलब्ध सुविधायें एवं संसाधनों में ग्राह्यता बढ़ाने की आवश्यकता होगी तथा एक दीर्घकालिक फालोअप की रणनीति तय करनी होगी।

कार्यवाही :

कार्यवाही के प्रथम चरण में वर्ष 2001 तक विद्यालय से बाहर सभी 41758 बच्चों को औपचारिक विद्यालय, वैकल्पिक शाला, पुर्नप्रवेश शिविर, सेतु पाठ्यक्रम एवं बालिका शिविरों के माध्यम से जोड़ा जायेगा। इसमें आशा कि जाती है कि लगभग आधे बच्चे 21000 औपचारिक स्कूलों में आ जायेगे। शेष के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपेक्षित होगी।

इसके अतिरिक्त 41758 में प्रतिवर्ष 2.25 की दर से वर्ष 2002 में 10440 एवं वर्ष 2003 से 13.49 बढ़े हुए बच्चों यानि वर्ष 2003 के अन्त तक कुल 65247 बच्चों को उक्त क्रियाकलापों से जोड़ा जायेगा।

प्रपत्र –1

कामकाजी बच्चे

(1) 9–14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या (ए.आई.ई.) केन्द्रों के उपयोग हेतु — जनपद–वाराणसी

क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक			अन्य			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
काशी विद्यापीठ	02	03	05	05	07	12	04	13	17	03	17	20	14	40	54
अराजीलाईन	56	41	97	63	51	114	86	69	155	25	23	48	230	184	414
सेवापुरी	855	1075	1930	423	518	941	572	717	1289	50	65	115	1900	2375	4275
चिरईगाँव	40	37	77	209	173	382	10	05	15	30	18	48	289	233	522
चोलापुर	112	150	262	35	48	83	143	149	292	77	41	118	367	388	755
बड़ागाँव	12	08	20	08	05	13	11	09	20	04	03	07	33	27	60
हरहुआ	85	106	191	85	60	145	68	37	105	22	27	49	260	230	490
पिण्डरा	34	15	49	68	40	108	09	05	14	11	08	19	122	68	190
नगर निगम वाराणसी	107	19	126	118	29	147	28	06	34	09	03	12	262	57	319
नगर पालिका रामनगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	1303	1454	2757	1014	931	1945	931	1010	1941	231	205	436	3477	3602	7079

स्रोत : वर्ष 2000 में बालगणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़े।

प्रपत्र 1

सड़क छाप बच्चे

) 9–14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या (ए.आई.ई.) केन्द्रों के उपयोग हेतु — जनपद – वाराणसी

क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक			अन्य			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
काशी विद्यापीठ	03	04	07	15	36	51	12	24	36	05	07	12	35	71	106
अराजीलाईन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सेवापुरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चिरईगॉव		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चोलापुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बडागाँव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हरहुआ	62	48	110	46	49	95	18	07	25	–	–	–	126	104	230
पिण्डरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नगर निगम वाराणसी															
नगर पालिका रामनगर									–	–	–	–	–	–	–
योग	[illegible]	64	196	129	99	228	57	35	92	22	10	32	340	208	548

स्रोत – वर्ष 2000 में बालक गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़े।

प्रपत्र –1

धुमन्तू बच्चे

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या (ए. आई. ई.) केन्द्रों के उपयोग हेतु   जनपद वाराणसी

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	काशी विद्यापीठ	21	176	197	55	445	500	15	132	147	14	129	143	105	882	987
2.	अराजीलाइन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	सेवापुरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	चिरईगॉव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	चोलापुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	बड़ागॉव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	हरहुआ	[illegible]	20	65	38	32	70	12	08	20	–	–	–	95	60	155
8.	पिण्डरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	नगर निगम वाराणसी	[illegible]	39	107	41	14	55	27	08	35	06	02	08	142	8[illegible]	225
10.	नगर पालिका रामनगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.	योग	[illegible]	235	369	134	491	625	54	148	202	20	131	151	342	1025	1367

स्रोत : वर्ष 2000 में बालगणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़े।

AIE में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (2)

कृषि पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वय वर्ग)

जनपद – वाराणसी

	विकास क्षेत्र / नगर क्षेत्र का नाम	व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों का जनसंख्या में प्रतिशत	व्यवसाय में मदद वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	काशी विद्यापीठ		3450	2651	6101	11	08	19
2.	अराजीलाईन		334	301	635	89	68	157
3.	सेवापुरी		1832	2150	4282	1470	1611	3081
4.	चिरईगाँव		322	49	371	89	33	122
5.	चोलापुर		324	241	565	163	116	279
6.	बड़ागाँव		800	400	1200	17	06	23
7.	हरहुआ		1132	1025	2157	112	90	202
8.	पिण्डरा		11380	9032	20412	91	49	140
	योग		19574	16149	35723	2042	1981	4023
9.	नगर निगम वाराणसी		–	–	–	–	–	–
10.	नगर पालिका रामनगर		370	131	501	20	05	215
	योग							
	महायोग		19944	16280	36224	2062	1986	4048

स्रोत : वर्ष 2000 में बालगणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़े।

AIE में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (2)

पशुपालन पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वय वर्ग)

जनपद – वाराणसी

	विकास क्षेत्र / नगर क्षेत्र का नाम	व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों का जनसंख्या में प्रतिशत	व्यवसाय में मदद वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	काशी विद्यापीठ		105	64	169	15	20	35
2.	अराजीलाईन		80	36	116	24	17	41
3.	सेवापुरी		93	105	198	118	162	280
4.	चिरईगाँव		300	40	340	50	24	74
5.	चोलापुर		97	67	164	240	287	527
6.	बड़ागाँव		200	150	350	04	02	06
7.	हरहुआ		960	837	1797	168	62	230
8.	पिण्डरा		1372	1180	2552	12	8	20
	योग		3207	2479	5686	631	582	1213
9.	नगर निगम वाराणसी		728	372	1100	217	85	302
10.	नगर पालिका रामनगर		38	29	67	18	10	28
	योग		766	401	1167	235	95	330
	महायोग		3973	2880	6853	866	677	1543

स्रोत : वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़े

AIE में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (2)

दुकानदारी पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वय वर्ग)

जनपद – वाराणसी

	विकास क्षेत्र / नगर क्षेत्र का नाम	व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों का जनसंख्या में प्रतिशत	व्यवसाय में मदद वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	काशी विद्यापीठ		65	35	100	40	39	79
2.	अराजीलाईन		–	–	–	–	–	–
3.	सेवापुरी		85	130	215	131	118	249
4.	चिरईगाँव		75	60	135	25	26	51
5.	चोलापुर		45	23	68	65	31	96
6.	बड़ागाँव		300	100	400	06	01	07
7.	हरहुआ		1064	865	1929	134	25	159
8.	पिण्डरा		391	374	765	04	03	07
	योग		2025	1567	3612	405	243	648
	नगर निगम वाराणसी		7251	253	7509	368	117	485
	नगर पालिका रामनगर		40	41	81	20	12	32
	योग		7291	299	7590	388	129	517
	महायोग		9316	1883	11202	793	372	1165

स्रोत : वर्ष 2000 में बालगणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़े।

AIE में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (2)

कुम्हार पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वय वर्ग)

जनपद – वाराणसी

	विकास क्षेत्र / नगर क्षेत्र का नाम	व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों का जनसंख्या में प्रतिशत	व्यवसाय में मदद वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	काशी विद्यापीठ		48	41	89	15	14	29
2.	अराजीलाईन		384	360	744	94	78	172
3.	सेवापुरी		62	89	151	36	64	100
4.	चिरईगाँव		10	04	14	10	15	25
5.	चोलापुर		–	–	–	–	–	–
6.	बड़ागाँव		50	25	75	02	04	06
7.	हरहुआ		721	654	1375	194	36	140
8.	पिण्डरा		14	12	26	01	01	02
	योग		1289	1185	2474	262	212	474
9.	नगर निगम वाराणसी		–	–	–	–	–	–
10.	नगर पालिका रामनगर		35	15	50	04	02	06
	योग		35	15	50	04	02	06
	महायोग		1324	1200	2524	266	214	480

स्रोत : वर्ष 2000 में बालगणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़े।

AIE में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (2)

बढ़ई पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वय वर्ग)
जनपद – वाराणसी

	विकास क्षेत्र / नगर क्षेत्र का नाम	व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों का जनसंख्या में प्रतिशत	व्यवसाय में मदद वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	काशी विद्यापीठ		43	34	77	08	10	18
2.	अराजीलाईन		–	–	–	–	–	–
3.	सेवापुरी		29	73	102	–	–	–
4.	चिरईगाँव		–	–	–	–	–	–
5.	चोलापुर		–	–	–	–	–	–
6.	बड़ागाँव		50	–	50	04	04	08
7.	हरहुआ		310	151	461	172	25	197
8.	पिण्डरा		41	36	77	01	01	02
	योग		473	294	767	185	40	225
9.	नगर निगम वाराणसी		1417	921	2338	112	35	147
10.	नगर पालिका रामनगर		10	08	18	18	12	30
	योग		1427	929	2356	130	47	177
	महायोग		1900	1223	3123	315	87	402

स्रोत : वर्ष 2000 में बालगणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़े।

AIE में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (3)

कुटीर लघु उद्योग में कार्यरत् बच्चों का विवरण (9–14 वय वर्ग)
जनपद – वाराणसी

	विकास क्षेत्र / नगर क्षेत्र का नाम	ग्राम / बस्ती की संख्या	उद्योग में मदद वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	काशी विद्यापीठ	6	776	731	1507	109	99	208
2.	अराजीलाईन	–	–	–	–	–	–	–
3.	सेवापुरी	–	–	–	–	–	–	–
4.	चिरईगाँव	–	–	–	–	–	–	–
5.	चोलापुर	4	23	28	51	61	60	121
6.	बड़ागाँव	–	–	–	–	–	–	–
7.	हरहुआ	2	238	251	489	276	61	337
8.	पिण्डरा	2	405	386	791	07	04	11
9.	नगर निगम वाराणसी	–	–	–	–	–	–	–
10.	नगर पालिका रामनगर	–	–	–	–	–	–	–
	योग	14	1442	1396	2838	453	224	677

स्रोत : वर्ष 2000 में बालगणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़े।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। 'अण्डर ऐज' व 'ओवर ऐज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 17659 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव मार्डल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव मार्डल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्षे में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0 जी0 एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रकिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता आमन्त्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई हैं।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को कियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यकम का अनुभव रखते हैं, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम वं नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इस स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रकिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

अध्याय – 8
ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

8. 1. निर्माण कार्य

(अ) विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण :–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत वाराणसी जनपद में 121 प्राथमिक विद्यालय तथा 13 उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों के पुर्ननिर्माण का कार्य किया जा चुका है। परन्तु इस परियोजना की समाप्ति के उपरान्त भी ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में 17 की स्थिति जर्जर है। जिसका पुनर्निर्माण कराना आवश्यक है। नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कुल 30 विद्यालय ऐसे है जिनके पुर्नस्थापना की आवश्यकता है। इस प्रकार जनपद में कुल 47 प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण/पुर्नस्थापना का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विकास क्षेत्र चिरई गाँव में ही मात्र एक उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसा है जिसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है तथा नगर क्षेत्र में 4 ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इस प्रकार जनपद के कुल पाँच उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है। जैसाकि सारणी संख्या 8.2 से स्पष्ट है।

(ब) अतिरिक्त कक्षा–कक्ष :

वाराणसी जनपद के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या/वर्ग के आधार पर विद्यालयों में कक्षा–कक्षों की कमियों को बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत 704 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराकर पूर्ण किया गया, किन्तु छात्र संख्या के वृद्धि के अनुपात में अब भी अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता हैं ऐसी स्थिति में 890 प्राथमिक विद्यालयों तथा 184 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या एवं वर्ग के आधार पर प्रत्येक विद्यालय को कम से कम पाँच शिक्षण कक्ष की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 1845 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता है जिसके निर्माण का प्रस्ताव है। जैसाकि निम्न सारणी से स्पष्ट है –

सारणी 8.1

	प्राथमिक स्तर	ग्रामीण विकास खण्ड क्षेत्रवार	नगर नगर क्षेत्रवार	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय भवन	759	135	894
2.	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	02	12	14
3.	दो कक्षीय वि.की.सं.	94	25	119
4.	तीन कक्षीय वि.की.सं.	269	28	257
5.	चार कक्षीय वि.की.सं.	139	34	173
6.	पाँच कक्षीय वि.की.सं.	133	34	167
7.	5 कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	120		120

	उच्च प्राथमिक स्तर	ग्रामीण	नगर		योग
1.	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	0	0	0
2.	दो कक्षीय विद्यालय	0	01	01	02
3.	तीन कक्षीय विद्यालय		46	06	52
4.	चार कक्षीय विद्यालय		68	06	74
5.	पाँच कक्षीय विद्यालय		12	02	14
6.	5 से अधिक कक्ष वाले विद्यालय		46	09	55

स्रोत : विद्यालय सांख्यिकीय के आधारभूत आंकड़े

(स) शौचालय, हैण्डपम्प तथा चहारदीवारी :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वाराणसी जनपद में 341 शौचालय, 102 हैण्डपम्पों की स्थापना की जा चुकी है। परन्तु परियोजना समाप्ति के उपरान्त भी जनपद के 139 प्राथमिक तथा 33 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जहाँ पर शौचालय नहीं है और 63 प्राथमिक तथा 23 उच्च प्राथमिक विद्यालय कुल 86 विद्यालयों में हैण्डपम्प नही है। वाराणसी में 579 प्राथमिक तथा 115 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जो चहारदीवारी विहीन है। इस प्रकार जनपद के 172 विद्यालयों में शौचालय, 86 विद्यालयों में हैण्डपम्प तथा 694 विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण का प्रस्ताव है। चहारदीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रू. 40,000/- से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। चाहर दीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा।

सारणी 8.2

प्राथमिक स्तर

1. मरम्मत योग्य विद्यालय	476	लघु मरम्मत योग्य 427	वृहत मरम्मत योग्य 49
2. शौचालय	शौचालय युक्त विद्यालय 750	शौचालय विहीन विद्यालय 140	शौचालयों की आवश्यकता 140
3. हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त 827	हैण्डपम्प विहीन 63	हैण्डपम्प की आवश्यकता 63
4. चहारदीवारी	चाहर दीवारी युक्त 311	चहारदीवारी विहीन 579	चाहरदिवारी आवश्यकता 579
5. पुनर्निमाण	–	–	पुर्निर्माण की आवश्यकता 17

पूर्व माध्यमिक स्तर

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन	कुल विद्यालयों की संख्या 184	भवनयुक्त 184	भवनहीन 00	जर्जर (पुनर्निर्माण योग्य) 05
2. मरम्मत योग्य	60	लघु मरम्मत	43	वृहत मरम्मत 17

3. शौचालय युक्त 150	शौचालय विहीन 33	शौचालय की आवश्यकता 33
4. हैण्डपम्प युक्त 147	हैण्डपम्प विहीन 23	हैण्डपम्प की आवश्यकता 23
5. चहारदीवारी युक्त 54	चहारदीवारी विहीन 115	चहारदीवारी की आवश्यकता 115

स्रोत : विद्यालय सांख्यिकीय के आधारभूत आंकड़े ।

विद्यालय मरम्मत :

जनपद में 427 प्राथमिक विद्यालय तथा 43 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है, जिनकी मरम्मत हेतु रू0 20,000/- की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 49 प्राथमिक विद्यालय तथा 17 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत योग्य है, जिनकी मरम्मत हेतु रू0 70,000/- की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

(द) विद्यालय पुर्नस्थापना (School Relocation) :

नगर क्षेत्र में जिन विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, अथवा विद्यालय किराये के जीर्जशीर्ण भवन में संचालित है। ऐसे 30 प्राथमिक विद्यालयों के पुर्नस्थापना का प्रस्ताव है। विद्यालयों हेतु भूमि नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), वाराणसी विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इन विद्यालय भवनों का पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना का कार्य नगर शिक्षा समितियों तथा सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से कराया जायेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन विद्यालयों में अध्यापकों/ साज–सज्जा की व्यवस्था पूर्व से संचालित विद्यालयों से स्थानान्तरित की जायेगीं। इस प्रकार वाराणसी के नगर निगम के मलीन बस्तियों में 30 प्राथमिक विद्यालयों की पुर्नस्थापना का प्रस्ताव है।

(2) अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र :

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजनान्तर्गत वाराणसी जनपद में परियोजना से पूर्व संचालित प्राथमिक विद्यालयों के लिए 49 प्रधानाध्यापक, 645 सहायक अध्यापकों का पद पृथक से 1:40 के अनुपात में अध्यापकों की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृत किया जा चुका है तथा उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत खोले गये 220 प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक, 1 सहायक अध्यापक एवं 94 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1 प्रधानाध्यापक, 4 सहायक अध्यापक मानक के अनुसार स्वीकृत है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वाराणसी जनपद में प्रस्तावित 40 प्राथमिक तथा पूर्व से संचालित 759 कुल 799 विद्यालयों में 1:40 का अनुपात बनाये रखने के लिए वर्ष 2001–2002 से 2009–2010 तक निम्नलिखित सारणी के अनुसार अध्यापक/शिक्षामित्र की आवश्यकता होगी।

सारणी 8.3

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता

वर्ष	परिषदीय विद्यालय मे नामांकन	ड्राप आउट दर	प्रभावी परिषदीय नामांकन	1:40 अनुपात में अध्यापकों की आवश्यकता	अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता		
					स.अ.	शिक्षा मित्र	योग
2001-2002	276949	22%	216020	5400	670	669	1339
2002-2003	288433	18%	236515	5912	925	926	1851
2003-2004	303043	14%	260616	6515	1227	1227	2454
2004-2005	309710	10%	278739	6968	1453	1454	2907
2005-2006	315903	5%	300107	7502	1720	1721	3441
2006-2007	322221	0%	322221	8055	1997	1997	3994
2007-2008	328665	-	328665	8216	2077	2078	4155
2008-2009	335238	-	335238	8380	2159	2160	4319
2009-2010	339029	-	339029	8475	2207	2207	4414

उपर्युक्त सारणी में परिषदीय विद्यालयों का नामांकन कुल नामांकन में से 30 प्रतिशत घटाकर निकाला गया है।

सारणी 8.4

(ब) उच्च प्राथमिक स्तर :

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	वर्ग अथवा 1:40 के अनुपात में आवश्यकता	अतिरिक्त सहायक अध्यापक की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6
1.	वाराणसी	861	652	1103	242

विद्यालयी सुविधायें (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर) :

(क) उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत 345 प्राथमिक विद्यालय तथा 71 उच्च प्राथमिक विद्यालय में लघु एवं वृहद मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है। जनपद के 427 प्राथमिक विद्यालय तथा 43 उच्च प्राथमिक विद्यालय में लघु मरम्मत तथा 49 प्राथमिकी विद्यालय और 17 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वृहद् मरम्मत का प्रस्ताव है

(ख) जनपद के 890 प्राथमिक विद्यालय एवं 184 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रख–रखाव हेतु क्रमशः 2000/– एवं 5,000/–रूपये प्रतिवर्ष अनुदान का प्रस्ताव है। जैसाकि सारणी संख्या 8.1 एवं 8.2 में दर्शाया गया है।

(ग) जनपद के 890 प्राथमिक एवं 184 उच्च प्राथमिक विद्यालयेां के विकास अनुदान हेतु प्रति विद्यालय 2000/– रूपये प्रतिवर्ष का प्रस्ताव है।

(घ) जनपद के मान्यता प्राप्त नर्सरी एवं मान्टेसरी विद्यालयों की तुलना में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को आकर्षक बनाने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2002–2003 से प्रतिवर्ष 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को फिक्सड डेस्क बेन्च द्वारा सुसज्जित किया जायेगा। जिसमें प्रति कक्षा कक्ष 15000/– रूपयें लागत का प्रस्ताव हैं।

अभिनव प्रयास

कम्प्यूटर शिक्षा

डिजिटल डिवाइड को दूर करने के उद्देश्य से वर्तमान सामाजिक परिवेश तथा कम्प्यूटर शिक्षा की मांग को देखते हुए वाराणसी जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा (सी.डी. आधारित) का प्रस्ताव हैं। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित कर सुसज्जित किया जायेगा तथा ऐसे विद्यालयों के अध्यापकों को कम्प्यूटर शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। इस योजना पर 01 लाख रूपये प्रति विद्यालय खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

बालिका शिक्षा :

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा का महत्व सर्वाधिक है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों की साक्षरता दर 64.2 तथा महिलाओं तथा महिलाओं की 39.29 है। जबकि उत्तर प्रदेश में पुरूषों की साक्षरता दर 55.73 तथा महिलाओं की 25.31 है। जनपद वाराणसी में पुरूषों की साक्षरता दर 68.39 तथा महिलाओं की 35.35 है। इस प्रकार इस जनपद में महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से 4 प्रतिशत कम है तथा प्रदेश की महिला साक्षरता दर से 10 प्रतिशत अधिक है तथा जनपद में ही पुरूषों की साक्षरता दर से 33.04 प्रतिशत कम है। जब हम अनुसूचित जाति की साक्षरता दर का अवलोकन करते है तो स्थिति अत्यन्त खेद जनक हो जाती है। वाराणसी जनपद में अनुसूचित जाति की साक्षरता 5.58 है। जिसमें पुरूषों का 7037 तथा महिलाओं का 3.8 है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर 23 प्रतिशत है। जिसे इस परियोजना के अन्तर्गत चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए महिलाओं की साक्षरता की दर 50 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य है।

उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति तभी की जा सकती है जव नगर क्षेत्र की मलीन, बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्र के सभी पंचायतों में बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कार्ययोजना तैयार की जायेगी और बालिका शिक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सर्वप्रथम बालिका शिक्षा की समस्यायें और मुद्दे विशेष पर चर्चा करना समीचीन होगा। जनपद में बालिका शिक्षा की समस्यायें निम्नलिखित है–

बालिका शिक्षा की समस्यायें –

1. बालिकाओं के अभिभावक दूरस्थ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन्हें भेजने में कठिनाई का अनुभव करते है क्योंकि राज्य सरकार के मानक के अनुसार सुदूर ग्रामीण अंचलों में जिन बस्तियों की आबादी 300 से कम है, प्राथमिक स्तर के विद्यालय तथा जिन बस्तियों की आबादी 800 से कम है उच्च प्राथमिक विद्यालय दूर–दूर स्थित है। प्रायः असुरक्षा के कारण कक्षा 6,7 व 8 की स्कूली शिक्षा से बालिकायें वंचित हो जाती है।
2. इस जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी महिलाओं की शिक्षा 23 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जाति की महिलओं की शिक्षा का प्रतिशत 3.8 है। ऐसी स्थिति में अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा का महत्व नहीं समझते। जिसके फलस्वरूप बालिकायें स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाती है। आज भी अभिभावक अपने बालकों को तो स्कूल भेजने में रूचि लेते है, किन्तु बालिकाओं को यह समझकर स्कूल नहीं भेजते कि शादी/विवाह के उपरान्त उन्हें केवल घरेलू कार्य ही करना है।
3. प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिन परिवारों में अभिभावक दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं। उस परिवार की बालिकायें अभिभावकों के घर से बाहर रहने पर घरेलू कार्यों को निपटाने में व्यस्त रहती है तथा अपने छोटे भाई, बहनों की देख भाल करती है। इसलिए स्कूल नहीं जा पाती है।

4. कुछ समुदाय विशेष (मुस्लिम) के परिवारों की बालिकायें मकतब/मदरसों की दीनी शिक्षा तक सीमित रह जाती है। उन परिवारों के अनपढ़ अभिभावक बालिकाओं की स्कूली शिक्षा को धर्म विरूद्ध मानते है साथ ही साथ पर्दाप्रथा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को सामान्य स्कूलों में भेजने से कतराते है।

5. ग्रामीण क्षेत्र में अब भी अज्ञानता के कारण छोटी उम्र में ही बालिकाओं की शादी कर दी जाती है। निर्धन तथा अशिक्षित परिवारों में इसकी बाहुल्यता है। इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों के कारण बालिकायें स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है।

6. व्यावसायिक शिक्षा के अभाव तथा बेरोजगारी को देखते हुए प्रायः अभिभावक यह समझते है कि बालिकाओं की शिक्षा से कोई लाभ नहीं है। स्कूल भेजने की अपेक्षा वे बालिकाओं को घर के काम काज तथा पारिवारिक पेशे में ही उन्हें दक्ष बनाना चाहते हैं।

7. उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना की समाप्ति के उपरान्त भी कतिपय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, चहारदीवारी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में लड़कियाँ बड़ी होने पर शाला त्याग कर देती है।

8. जनपद वाराणसी की वर्ष 1999 की सांख्यिकी पत्रिका के अनुसार ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में कुल 774962 कर्मकर है, जो जनपद की आबादी के 30.08 हैं। इस प्रकार के परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इन परिवारों के अभिभावक चाहकर भी निर्धनता के कारण अपनी बालिकाओं को स्कूली शिक्षा देने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

बालिकाओं शिक्षा के ठहराव हेतु रणनीति

- ### समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ – ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10-12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल – ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय नें उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै०शि० केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- ### ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन

  - बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

- बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा –

  – माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान

  – माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान

  – माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने वैज प्रदान किये जायेगें।

• सत्र के मध्य एवं सत्रांन्त में अभिभावक सम्मेलन

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हे अवगत कराते हुए, नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करे जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे है। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामाकंन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

• कोहार्ट स्टडी

अधिकतन शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

• ग्रीष्म कालीन शिविर

ऐसे गाँव/ ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेंगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

• "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसनें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेगी। यह अभियान ऐसे गाँवों में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतन है।

• शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनानें हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से वच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा /अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

बलिका शिक्षा कार्यक्रम :

जनपद के प्रत्येक विकास क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर शैक्षिक संगठनों, ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठनों, युवक मंगल दलो, ऑगन वाडी कार्यकर्त्तियों आदि के सहयोग से पोस्टर, दीवाल, लेखन, प्रभात फेरी आदि के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाकर बालिकाओं का विद्यालयों में शत–प्रतिशत नामांकन कराया जायेगा तथा शाला त्याग की प्रवृत्ति पर रोक लगायी जायेगी। जिसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगे।

(क) क्षमता सम्बर्धन :

विकास क्षेत्र चिरईगांव, काशी विद्यापीठ, बड़ागांव, पिण्डरा, आदि ब्लाकों में विशेष रूप से जहां पर बालिकाओं की साक्षरता का प्रतिशत कम है तथा अन्य विकास क्षेत्रों में भी महिला संगठनों शैक्षिक संस्थाओं, ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु सम्वेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा इन्हें प्रोत्साहित कर इनकी क्षमता में बृद्धि की जायेगी।

(ख) सामुदायिक जन जागृति :

अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य गरीब वर्ग के सामुदाय के लोगों का ग्राम पंचायत स्तर पर समूह गठित कर इन्हें बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया जायेगा तथा इस समुदाय की साक्षर महिलाओं को उनके समुदाय में बालिका शिक्षा के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मान्यताओं को दूर करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस कार्य में अग्रिण महिलाओं को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जायेगा। सामुदायिक जागृति हेतु ग्राम स्तर पर निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

1. नुक्कड़ नाटक / ग्राम पंचायत स्तर पर ।
2. प्रभात फेरी बालिकाओं की / ग्राम पंचायत स्तर पर।
3. बालिका शिक्षा के प्रति सांस्कृतिक कार्यक्रम / ग्राम स्तर पर
4. बालिका शिक्षा से सम्बन्धित फिल्मों का प्रदर्शन / न्याय पंचायत स्तर पर ।

(ग) मदर, टीचर एसोसियेशन :

जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में विद्यालयवार मदर टिचर एसोसियेशन का गठन किया जायेगा तथा प्रत्येक विद्यालय पर प्रत्येक माह में एक दिन इनकी बैठक कराकर बालिका शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। जिसमें अध्यापकों द्वारा बालिकाओं के नामांकन का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) पैरेन्ट, टीचर एसोसियेशन :

प्रत्येक विद्यालय में पैरेन्ट टीचर एसोसियेशन का गठन कर प्रत्येक दूसरे माह में उसकी बैठक आयोजित की जायेगी। जिसमें विद्यालय की स्थिति एवं बालकों की तुलना में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति विशेष रूप से जागृति रहने के लिए प्रेरित किया जायेगा। प्रयास यह किया जायेगा कि यह बैठके ग्राम शिक्षा समितियों के साथ ही आयोजित की जाय।

(ड़) महिला प्रभात फेरी/ जुलूस :

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम की शिक्षित महिलाओं के नेतृत्व में उस ग्राम की समस्त महिलाओं का बालिका शिक्षा के प्रति जागृति लाने हेतु प्रत्येक सप्ताह में एक दिन प्रभात फेरी/ जुलूस निकाला जायेगा और लोगों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया जायेगा। इस कार्यकम का आयोजन विशेष रूप से जुलाई अगस्त सितम्बर के महिनों में किया जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यकम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यकम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यकमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रकिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रकिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

माडल क्लस्टर डबलपमेन्ट एप्रोच :

बालिकाओं की शिक्षा के लिए आदर्श ग्राम समूहों की स्थापना –

प्रत्येक विकास खण्ड में ऐसे ग्राम समूहों का चयन किया जायेगा, जहां पर महिला साक्षरता दर निम्न हो, पिछड़ापन हो, बालिकाओं का नामांकन एवं धारण प्रतिशत कम हो अल्प संख्यक अनुसूचित जाति तथा कामकाजी बच्चियाँ हो। ऐसे ग्राम समूहों में ग्राम शिक्षा समितियों, न्याय पंचायत के सकुल प्रभारियों तथा कोर ग्रुप के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित कर शत–प्रतिशत बालिका नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी तथा नामांकन के उपरान्त प्रत्येक बालिका के पारिवारिक परिस्थितियों, विद्यालय में उपस्थिति, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता आदि के सम्बन्ध में सर्तकता वरती जायेगी। जिससे बालिकाएं का शाला त्याग न कर सके और इसके लिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जनपद में कुल 108 माडल क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव है।

शिशु शिक्षा केन्द्र की स्थापना/सुदृढीकरण :

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कुल 40 शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित थे। वर्तमान में बाल विकास परियोजना (iii) के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में 110 तथा ग्रामीण क्षेत्र में सभी ब्लाकों में कुल 1424 ऑगनवाडी केन्द्र स्थापित किये जा रहे है। इन्हीं केन्द्रों में से नगर क्षेत्र के 20 ग्रामीण क्षेत्र के 180 केन्द्रों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सुदृढ़ किये जाने का प्रस्ताव हैं जिसमें इन केन्द्रों पर कार्यरत् अनुदेशक/अनुदेशिकाओं को 2 घण्टे अतिरिक्त कार्य करने हेतु परियोजना के अन्तर्गत पृथक से मानदेय दिया जायेगा तथा आवश्यक शिक्षण सामग्री (खिलौनी इत्यादि) से सुसज्जित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कनवरजेन्स से जनपद स्तरीय आई. सी. डी. एस. प्रशिक्षण केन्द्र पर समस्त ऑगनवाडी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण पाठ्यचर्या में शैक्षिक पक्ष का समावेश किया जायेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं संचालित हैं, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शिता व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव योजना :

जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हस्तशिप, सिलाई–कढ़ाई तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार फल संरक्षण, खिलौना निर्माण आदि के माध्यम से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत इस जनपद में कुल 6 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यानुभव योजना संचालित थी, जिसके अच्छे परिणाम यह प्राप्त हुए कि बालिकाओं का ड्राप आउट उच्च प्राथमिक स्तर पर शून्य था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी जनपद के प्रत्येक विकास क्षेत्र में अवस्थित 3–3 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा हेतु कार्यानुभव योजना संचालित किये जाने का प्रस्ताव हैं।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :

जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तके वितरित करने का प्रस्ताव है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी वाराणसी की अध्यक्षता में दिनांक 13–2–2001 की बैठक में सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया गया कि जनपद के समस्त 6 से 11 वय वर्ष के बच्चों को जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते है एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से सम्बन्धित सभी बालक–बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तके निःशुल्क वितरित की जाय, जो समीचीन है। विभागीय मानक के अनुसार वर्ष 2001–2002 से 2009–2010 तक जनपद के परिषदीय विद्यालयों की 6–11 वय वर्ग की सम्पूर्ण बालिकायें तथा अनुसूचित जाति के बालकों की प्रक्षेपित जनसख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी है। परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 के लिए रू. 150/– प्रतिछात्र की दर से कुल 2,16,084/– छात्र/छात्राओं के लिए रू. 32,407/–(हजार में) का प्रस्ताव है।

सारणी 8.5

प्राथमिक स्तर की सम्पूर्ण बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों की प्रक्षेपित जनसंख्या/नामांकन

वर्ष	सम्पूर्ण बालिकायें	अनुसूचित जाति के बालको की संख्या	योग
2001-2002	189909	26175	216084
2002-2003	194086	28803	222889
2003-2004	198355	31516	229871
2004-2005	202718	32209	234927
2005-2006	207177	32918	240095
2006-2007	211734	33641	245375
2007-2008	216392	34381	250773
2008-2009	221152	35069	256221
2009-2010	232477	35770	268247

स्रोत : विद्यालय साख्यिकीय के आधारभूत आंकड़े।

विभागीय मानक के अनुसार वर्ष 2001–2002 से 2009–2010 तक जनपद के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की 11–14 वय वर्ग की सम्पूर्ण बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों की प्रक्षेपित नामांकन निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 के लिए रू. 150/– प्रतिछात्र की दर से कुल 77,618 छात्र–छात्राओं के लिए रू. 11,633/– (हजार) का प्रस्ताव है।

सारणी – 8.6

उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्पूर्ण बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों की प्रेक्षिपित जनसंख्या / नामांकन

वर्ष	सम्पूर्ण बालिकाएं	अनुसूचित जाति बालक	योग
2001 - 2002	73778	3840	77618
2002 - 2003	80896	4204	85100
2003 - 2004	88187	4698	92885
2004 - 2005	101393	5533	106926
2005 - 2006	120894	6598	127492
2006 - 2007	122336	6839	129175
2007 - 2008	125027	6988	132015
2008 - 2009	127777	7308	135085
2009 - 2010	130588	7639	138227

ोत : विद्यालय सांख्यिकीय से प्राप्त आधारभूत आंकड़े।

समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा (विकलांग बच्चो के लिए) :

भारत वर्ष की लगभग 5–10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चें के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वही परिवार एवं समुदाय को प्रभावित करता है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं माध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है। इसलिए बच्चों के विकलांगता एवं अक्षमता के सम्बन्ध में चिन्हीकरण आवश्यक है। वाराणसी जनपद में बालगणना द्वारा प्राप्त ऑकड़ो के आधार पर विकलांग बच्चों की कुल संख्या 896 है। इन बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जायेगी।

विकलांगता का प्रकार व असेसमेन्ट :

वाराणसी जनपद में बाल गणना मई, जून 2000 में सम्पन्न की गयी थी उसके आधार पर विकलांग बच्चों की कुल संख्या 896 चिन्हित की गयी थी। आगामी वर्षों में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान यथा –दृष्टि विकलांगता, श्रवण एवं वाणी विकलांगता, अस्थि विकार विकलांगता, मानसिक मन्दता, अधिगम मन्दता वाले छात्र–छात्राओं का परीक्षण डाक्टरों की एक टीम द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चो के लिए शिक्षा योजना उनकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार की जायेगी व उनके लिए उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए रू. 1200/– प्रति लाभार्थी की दर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर पर विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हैं, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्ति स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों का डेस्ट टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जाता है।

शिक्षको का सवेदीकरण / प्रशिक्षण :

डी.पी., ई.पी. के अन्तर्गत शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु विकसित ट्रेनिंग माड्यूलों को वाराणसी जनपद में भी शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अपनाया जायेगा। अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए समुदाय, परिवार एवं अध्यापकों का सवेदीकरण आवश्यक है। सवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है। अक्षम बच्चों के लिए सहानुभूति सभी दिखाते है, जबकि इन्हें सहायता की आवश्यकता है। उनकी समक्षताओं को और विकसित करने की आवश्कता पर बल दिया जायेगा।

अध्यांपकों का सेवारत् प्रशिक्षण :

अध्यापकों के सेवारत् प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया जायेगा। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया जायेगा। समेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को 05 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति विकास खण्ड 4–4 मास्टर, ट्रेर्नस का चयन किया जायेगा और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवान्स स्टडीज इन स्पेशल एजुकेशन, रूहेल खण्ड यूनीवर्सीटी, बरेली अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एवं रिसर्च सेन्टर कर्कडूमा विकास मार्ग, दिल्ली एवं उ0प्र0 विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी 13 लूकरगंज, इलाहाबाद में आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया जायेगा –

1. विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन
2. विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।
3. इन बच्चों को समूहों के लिए शिक्षण रणनीति विकसित करना।
4. कक्षा–कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।
5. विकलांग बच्चों इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यो को परामर्श देना।
6. विकलांग बच्चों का आवश्यकताओ के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

8.6.4. स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी :

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्था किरन संस्थान वाराणसी, नवज्योति संस्थान वाराणसी, नववाणी संस्थान वाराणसी व नेहरू युवा केन्द्र आदि संस्थाएं कार्य कर रही थी। प्रत्येक ब्लाक में इन संस्थाओं के अलावा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु लिया जायेगा।

वाराणसी जनपद में निम्नलिखित संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इनकी सेवायें विभिन्न प्रकार की विकलांगता के प्रशिक्षण हेतु परियोजना के मापदण्ड के आधार पर जिला शिक्षा परियोजना के अनुमोदनों उपरान्त इन संस्थाओं का सहयोग विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं अन्य

कार्यो जैसे शिशु शिक्षा केन्द्र, बालिका शिक्षा कार्यकम इत्यादि में लिया जायेगा।

1. किरन संस्थान, वाराणसी
2. नवज्योति संस्थान, वाराणसी
3. नववाणी संस्थान, वाराणसी
4. नेहरू युवा केन्द्र, वाराणसी
5. गंगापुर ग्रामोद्योग विकास समिति, गंगापुर, वाराणसी
6. डॉ. शम्भुनाथ सिंह रिसर्च फाउण्डेशन, सोनियां, वाराणसी

छात्र स्वास्थ्य परीक्षण :

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत 6–11 आयुवर्ग के छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण इस जनपद में होता रहा हैं, जिसके उत्साहवर्धन परिणाम होते रहे है। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण से बच्चों में पनपने वाले अनेक छोटी/बड़ी वीमरियों की जानकारी उनकी प्रारम्भिक अवस्था में हो जाती है। इन विमारियों से प्रायः अभिभावक अनभिज्ञ रहते हैं, बाद में यही वीमारियाँ भयानक रूप ग्रहण कर लेती है। ऐसी स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम अति आवश्यक है। जनपद के परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 6.11 वय वर्ग के छात्र–छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

छात्र स्वास्थ्य परिक्षण के लिए प्रत्येक विकास क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात शिक्षकों की टीम मुख्य चिकित्साधिकारी की देख–रेख में गठित की जायेगी, जो प्रत्येक वर्ष में एक बार 6–14 आयुवर्ग के छात्र–छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम विद्यालय के रजिस्टर पर तैयार किये जायेगे तथा चिन्हित बच्चों को स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से निःशुल्क औषधियां उपलब्ध कराने हेतु सहयोग लिया जायेगा।

अध्याय – 9
गुणवत्ता के लिए नियोजन

वाराणसी जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 1993 में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' आरंभ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 08 बी.आर.सी. तथा 108 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट में संस्थागत क्षमता का बहुआयामी विकास हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में डायट की क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी.सी.ई. कार्यकर्त्रिओं तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त एक्शन रिसर्च के क्षेत्र में भी डायट की क्षमता विकसित हुई। परियोजना के अन्तर्गत डायट में मानव संसाधनों की बेहतर व्यवस्था हुई। डायट में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार, उपकरण तथा सामग्रियों की व्यवस्था, अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षों, दृश्य–श्रव्य उपकरणों आदि की व्यवस्था तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया गया।

शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्था–

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपोर्ट हेतु एक विकास खण्ड का मेन्टर निर्धारित किया गया है, जहाँ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन.पी.आर.सी. और 4 प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है और यथा स्थान शैक्षिक सहयोग भी दिया जाता है। इसी प्रकार बी.आर.सी. के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते हैं। एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुश्रवण करके शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। प्रतिमाह बी.आर.सी. समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की "अकादमिक संसाधन समूह" की बैठक में कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम बनाये जाते हैं। डायट बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में लागू की जा रही अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली के आधार पर जनपद के विद्यालयों की स्थिति परिशिष्ट 1 पर दी गई है। यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा–

उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।

अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6–8 तथा 1–5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्कताओं–कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।

3. मकतब मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

2. स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में यू.पी.–बी.ई.पी. में 40 शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय से किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नानांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों

को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद वाराणसी में डायट के नेतृत्व में 1133 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

किन्तु जहां तथा बच्चों की शिक्षा में परिवार के सहयोग का प्रश्न है, स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीविकोपार्जन कार्य में लगे रहते हैं प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चों को शैक्षिक वातावरण नहीं दे पाते तथा विद्यालय के द्वारा दिये गये गृहकार्य में बच्चों को भी कोई सहयोग नहीं दे पाते।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व

में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना में दिये गये सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण का विवरण :

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नवीन शिक्षण विधाओं का प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान कराना एवं जिन पाठ्य वस्तुओं को अध्यापक भूल गया है उसका बोध कराना था। शिक्षक प्रशिक्षण की प्रतिवर्ष नियमित व्यवस्था की गई थी। जिसका उल्लेख इस प्रकार है।

प्रथम चक्र

प्रथम चक्र में "प्रशिक्षण का उद्देश्य यह था कि शिक्षक बच्चों को सक्रिय करके शिक्षण कार्य करें। डायट में यह प्रशिक्षण 15 दिनों का था। इस प्रशिक्षण के निम्न लक्ष्य थे :–

1. शिक्षण अधिगम की नवीनतम प्रभावकारी प्रविधियों की जानकारी प्राथमिक शिक्षकों को देना।
2. विद्यालय को आनन्ददायी शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित करने में शिक्षक सक्षम हो सके।
3. शिक्षा को जीवन से जोड़ा जा सके।
4. विद्यालय के विकास में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करना।
5. स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना।

द्वितीय चक्र :

विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन भाषा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रशिक्षण में नौ दक्षताओं ः बल दिया गया। कक्षा 01 से 05 तक के पाठों का विकास दक्षता आधारित हुआ है। ये दक्षतायें निम्न

है – जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, विचारों को समझना, व्यवहारिक व्याकरण, स्वः अधिगम, भाषा प्रयोग, शब्दावली नियन्त्रण आदि समाहित था।

इस प्रकार शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विचार के साथ–साथ बच्चे को अपने दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से भाषा का प्रयोग करना आ जाता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह था कि छात्र भाषा में प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर लें।

तृतीय चक्र :

अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था। छात्रों में रूचि का विकास करना और पढ़ी गयी विषय वस्तु को भली भाँति समझ लेना। शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन हेतु पाठ्य पुस्तकों के साथ कक्षा 01 से 05 छात्र तक के छात्रों के लिए भाषा में अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में इन्द्रधनुष पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी।

चतुर्थ चक्र :

1. एक क्रिया कलाप द्वारा कई सम्बोधों को स्पष्ट करने के कौशलों का विकास करना।
2. गणित के पाँच अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्याओं का समझना, जोड़ने, घटाने, गुणा तथा भाग की संक्रियाएं, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र एवं समय का मापन, दशमलव एवं प्रतिशत तथा ज्यामिति आकृति की जानकारी बच्चों को किस प्रकार दी जायेगी तथा इन सम्बोधों को कैसे स्पष्ट किया जायेगा और इन पर कौन–कौन सी क्रियाएं करायी जा सकती हैं, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया।

पंचम चक्र :

इस प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया।

1. पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से छात्रों को परिचित कराना।
2. प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्व को समझना।
3. पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना।

लक्ष्य :

4. सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना।
5. सामाजिक कुरीतियों के दोषों का ज्ञान कराना तथा दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
6. छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल
7. स्वयं सीखने पर बल
8. कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल
9. स्थानीय संसाधनों से शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग
10. विज्ञान के सिद्धान्त तथा तथ्यों को प्रयोग द्वारा करके समझने पर बल

बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

गणित प्रशिक्षण : गणित को सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में गणित के प्रति रूचि उत्पन्न हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सके।

उद्देश्य :

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास
2. छात्रों को गणित के नियमों से परिचित करना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास करना।
4. छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
2. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।

जनपद में बी.ई.पी. परियोजना के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों की स्थिति इस प्रकार है :

चक्र	स्तर तथा संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
प्रथम	7185	694
द्वितीय	7058	551
तृतीय	7521	
चतुर्थ	7232	
पंचम	8278	
योग	37274	

ोत – डायट, वाराणसी

शिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद वाराणसी में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की ापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।

अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।

ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर. सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।

   - विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
   - विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
   - वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
   - शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
   - एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
   - ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
   - डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन.पी.आर. सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

टी.एल.एम. तथा अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में "इन्द्रधनुष" नाम की पाँच पुस्तकों (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गई इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु0 500/– की धनराशि प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटीरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिला।

ऐक्शन रिसर्च :

एक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा–कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत–प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं, समूह में गतिविधि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग 50 प्रतिशत अध्यापक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रहीं है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी रही है। अध्यापक कठिन सम्बोधों को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में

अधिक समय लगता है। इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है लेकिन जनपद में लगभग 36 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है जहाँ 1 या 2 ही अध्यापक कार्यरत हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में विषयों के विशेषज्ञ अध्यापकों के अभाव में प्रभावी शिक्षण में कठिनाई देखी गयी है।

डायट के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

शैक्षिक योग्यता :

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति इस प्रकार है।

सारणी – 1

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

		प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1.	शिक्षकों की कुल संख्या	3333	652
2.	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक	74	01
3.	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	888	07
4.	केवल इण्टर उत्तीर्ण अप्रशिक्षित	53	01
5.	स्नातक अप्रशिक्षित	54	03
6.	(क) विज्ञान शिक्षक	–	–
	(ख) संस्कृत शिक्षक / उर्दू शिक्षक	–	–
7.	परास्नातक अप्रशिक्षित	05	03
8.	इन्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	1310	515
9.	स्नातक एवं प्रशिक्षित	756	161
10.	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	80	105

स्रोत : कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी ।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 'स्नातक' तथा 'प्रशिक्षित' (बी.टी.सी. अथवा समकक्ष) होना आवश्यक हैं। उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से 25.35 प्रतिशत शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में हाईस्कूल/इण्टर एवं स्नातक अप्रशिक्षित कार्यरत अध्यापकों की संख्या1.5 प्रतिशत है, जबकि इन्टर प्रशिक्षित 64.70 प्रतिशत स्नातक प्रशिक्षित 20.26 प्रतिशत एवं परास्नातक प्रशिक्षित 13.19 अध्यापक कार्यरत है। विगत कई वर्षों से बी.टी.सी प्रशिक्षण की निर्धारित योग्यता स्नातक कर दी गयी है जबकि ऑकड़ों से ज्ञात होता है कि लगभग 66 प्रतिशत कार्यरत अध्यापक या तो इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित है या तो इससे कम योग्यता के लोग कार्यरत है। इसलिए इस प्रकार के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विषयों का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

शिक्षकों का शिक्षण अनुभव :

जनपद में शिक्षण अनुभवों के आधार पर शिक्षकों की स्थिति निम्न प्रकार है।

सारणी 2

	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक विद्यालय में	उच्च प्राथमिक विद्यालय में
1.	5 वर्ष से कम	1131	27
2.	5 वर्ष से 10 वर्ष तक	462	83
3.	10 वर्ष से 15 वर्ष तक	490	95
4.	15 वर्ष से 20 वर्ष तक	447	56
5.	20 वर्ष से 25 वर्ष तक	299	75
6.	25 वर्ष से 30 वर्ष तक	465	159
7.	30 वर्ष से अधिक	454	294

स्रोत : कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी ।

उपर्युक्त सारिणी शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति दर्शाती है। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक समय से शिक्षण कार्य कर रहे है वे परम्परागत विधि से शिक्षण कार्य करते हैं। नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी होने पर भी वे अभ्यास के कारण शिक्षण कार्य को नवीन विधा से नहीं करना चाहते हैं। इसके वितरीत नये अध्यापक बाल केन्द्रित शिक्षा पर ध्यान देते है और कक्षा में गतिविधि अधारित शिक्षण करते हैं। अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षकों का पदस्थापन :

जनपद वाराणसी में कुछ परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या तथा संचालित कक्षाओं के अनुपात में शिक्षक पदस्थापित नहीं है। निम्नलिखित सारणी जनपद में शिक्षिकों परिषदीय संख्या के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दर्शाती है –

सारणी – 3

एकल शिक्षक विद्यालयों की सख्या	दो शिक्षक विद्यालयों की सख्या	तीन शिक्षक विद्यालयों की सख्या	चार शिक्षक विद्यालयों की सख्या	पांच शिक्षक विद्यालयों की सख्या
प्राथमिक विद्यालय 0	171	235	233	120
उच्च प्राथमिक 0	57	29	43	32

स्त्रोत : बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी

उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तरीय लगभग 10 प्रतिशत एकल शिक्षक विद्यालय तथा लगभ 20 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है, जहां दो ही शिक्षक कार्यरत् है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। जहां प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से समय प्रबन्धन, कक्षा प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन तथा शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

वी.ई.सी. के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाली ग्राम शिक्षा समिति को क्रमशः 15000 एवं 10000 के प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार निर्धारित किये गये थे। जिसके कारण अन्य ग्राम शिक्षा समितियों में नई चेतना जागृत हुई है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतिम वर्ष में जनपद में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें [illegible] कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.55 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक के 10 सेट उपलब्ध कराये गये थे जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र–छात्राओं द्वारा किया जाता है। इससे कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा–2 एवं कक्षा–5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिसे आधारभूत सर्वेक्षण कहते हैं, 1992–93 में किया गया। मध्यावधि मूल्यांकन जुलाई 1996 में और अन्तिम मूल्यांकन अगस्त 2000 में, निर्धारित विधि से चयनित विद्यालयों में किया गया, जिसकी उपलब्धि निम्न तालिकाओं में दर्शायी गयी है।

सारणी 4

कक्षा – 2 भाषा		कक्षा–2 गणित	
उपलब्धि स्तर	छात्रों का प्रतिशत	उपलब्धि स्तर	छात्रों का प्रतिशत
0–10	0.0	0–10	0.0
10–20	0.0	10–20	0.0
20–30	0.0	20–30	0.12
30–40	0.0	30–40	0.00
40–50	0.0	40–50	0.36
50–60	0.0	50–60	0.12
60–70	0.0	60–70	0.36
70–80	0.9	70–80	3.32
80–90	10.0	80–90	11.98
90–100	89.2	90–100	83.38

स्त्रोत : एफ.ए.एस., 2000, एस.सी.ई.आर.टी. उ0प्र0

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्तिम मूल्यांकन की रिपार्ट के आधार पर कक्षा – 2 के भाषा परीक्षा में 50.4 प्रतिशत बालक और 49.6 प्रतिशत बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। जिसकी कुल संख्या 425 और 418 कुल योग 843 रहा। इसमें सभी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 25.0 पिछड़ी जाति का प्रतिशत 64.7 तथा अन्य का प्रतिशत 10.3 है। कक्षा–2 भाषा में विद्यार्थियों का उपलब्धि का औसत 94.5 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रवार उपलब्धि 94.5 प्रतिशत है। लिंगवार इनकी उपलब्धि का प्रतिशत 94.5 व 94.3 प्रतिशत है। जातिवार अनुसूचित जाति की उपलब्धि का प्रतिशत 93.5 है। पिछड़ी जाति का 94.64 प्रतिशत है तथा अन्य 93.40 प्रतिशत है। कक्षा–2 के गणित परीक्षण में कुल 83 बच्चों ने [illegible] प्रतिशत 94.57 है। लिंगवार बालक–बालिकाओं का प्रतिशत क्रमशः 94.92 और 94.21 है। जातिवार उपलब्धि अनुसूचित जाति 94.08, पिछड़ी जाति का 94.50 अन्य का 96.22 प्रतिशत है।

सारणी 5

कक्षा – 5 भाषा		कक्षा– 5 गणित	
उपलब्धि स्तर	छात्रों का प्रतिशत	उपलब्धि स्तर	छात्रों का प्रतिशत
0–10	0.0	0–10	0.0
10–20	0.0	10–20	0.0
20–30	0.0	20–30	0.0
30–40	0.0	30–40	0.0
40–50	0.0	40–50	0.0
50–60	0.0	50–60	0.0
60–70	0.0	60–70	0.5
70–80	0.9	70–80	2.6
80–90	10.0	80–90	19.0
90–100	89.2	90–100	77.9

स्त्रोत : एफ.ए.एस., 2000, एस.सी.ई.आर.टी. उ0प्र0

वाराणसी जनपद में कक्षा 5 की भाषा परीक्षण में कुल 1172 बच्चों ने प्रतिभाग किया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के इनकी उपलब्धि का प्रतिशत 95.19 है। लिंगवार इनकी उपलब्धि बालक एवं बालिकाओं की क्रमशः 95.21 और 95.17 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जाति की उपलब्धि का प्रतिशत 95.58 है। पिछड़ी जाति 95.14 है तथा अन्य का 94.77 है। कक्षा 5 के गणित परीक्षण में कुल 1172 बच्चों ने प्रतिभाग किया जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इनकी उपलब्धि का प्रतिशत 94.22 है। लिंगवार इनकी उपलब्धि बालक और बालिकाओं का क्रमशः 94.23 प्रतिशत ओर 94.21 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के उपलब्धि का प्रतिशत 94.32 पिछड़ी जाति का 94.12 तथा अन्य का 94.49 प्रतिशत है।

सामान्य निष्कर्ष :

बी.ए.एस. और एम.एस. की अपेक्षा एफ.ए.एस. में कक्षा दो एवं कक्षा पाँच के भाषा एवं गणित की उपलब्धि में अशातीत वृद्धि है। इन दोनों कक्षाओं के बच्चों के भाषा और गणित के मध्यमानों का प्रतिशत भी लगभग सामान्य है। इससे पता चलता है कि भाषा और गणित जो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य विषय हैं, दोनों में बच्चों ने समान रूप से योग्यता प्राप्त की है।

विद्यालयों में जाति और लिंग के अधार पर अन्तर कम हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों का प्रवेश बढ़ा है। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या में पर्याप्त बृद्धि हुई है। वर्गवार और लिंगवार भाषा और गणित की उपलब्धि भी लगभग समान है। 95 प्रतिशत बच्चे दक्षता को प्राप्त कर लिए है, 5 प्रतिशत बच्चे दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं।

'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी' के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष

ए स्टडी ऑफ क्लासरूम प्रोसेसेज, सीमेट, 1998–99 तथा 'क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्टडी, एस0सी0ई0आर0टी0 के आधार पर जनपद में निम्नांकित निष्कर्ष उल्लेखनीय हैं–

1– सर्वेक्षण की तिथि को 95 प्रतिशत अध्यापक उपस्थित पाये गये। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत अध्यापक क्रिया आधारित शिक्षा एवं सहायक सामग्री का प्रयोग करते पाये गये। कक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। बालक पठन–पाठन कार्य में रूचि ले रहे थे। शिक्षक समय से उपस्थित पाये गये। कक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था में शिक्षक मेधावी छात्रों को पीछे और कमजोर छात्रों को आगे बैठाते है। विशेषकर बालिकाओं को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है।

2– इस व्यवस्था में कमजोर बच्चे लाभान्वित थे। शिक्षक कठिन शब्दों का निराकरण पूछकर श्यामपट्ट पर लिखता है। पठन–पाठन को समूह में बारी–बारी पढ़ाते हैं। मेधावी बच्चों के सहयोग से समूह में उच्चारण दोष का निराकरण करते हैं तथा शिक्षक स्वयं भी उच्चारण करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान रखते हैं। प्रश्नोत्तर एवं अनुपूरक अध्ययन सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। अधिकतर बाजार से बनी हुई सामग्री का प्रयोग हो रहा है। कुशल अध्यापक ही केवल स्व निर्मित सामग्री का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में कर रहे हैं। कुछ विद्यालयों के अध्यापक शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :

जनपद की शहरी मलीन बस्तियों में बच्चें है और बालश्रमिक भी हैं। बाल श्रमिकों का जीवन गरीबी के शिकंजों से जकड़ा रहता हैं। जिनके माता–पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योकि इनके पास आय के स्रोत नहीं होते हैं। धनाभाव में भी माता–पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालय में प्रवेश कराते है। किन्तु परिस्थितिवश घर के काम में अथवा बाहर के काम में बच्चे को लगा देते है। जिससे उनको आर्थिक लाभ होने लगता है। इस लालच में पड़े माता–पिता अपने बच्चों की शिक्षा पूरा करने में असमर्थ रहते है। शहरी मलीन बस्तियों में रहने वाले बच्चे अपने जीविकोपार्जन के लिए कूड़े कचरे से पालिथिन की थैली आदि सामग्रियों को बटोर कर विक्रय कार्य में लगे रहते है।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 5 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं ज्ञात हुई–

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विद्या को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी

शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद वाराणसी में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ

बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 56 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी. आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 60 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 60 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 62 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 62 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक हैं तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 20 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 20 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कर्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन. पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 669 शिक्षामित्रों तथा 185 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 500 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार 'आधारशिला' (भाग I व II) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए, एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए. एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस. डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण** –
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। डी.एम. के आदेश पर 10 दिन का

शीतावकाश के लिए बन्द हुआ, तथा निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। अतः 179 दिवस शिक्षण के लिए शेष रहा।

सारणी – 6

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
परीक्षा	08 छमाही सालाना परीक्षा	12
अन्य कार्य	15	05
नष्ट हो जाने वाले दिन	10 डी.एम. के विशेष आदेश पर	10
समुदाय से सम्पर्क	08	08
शिक्षण दिवस	179	185

स्रोत – डायट, सारनाथ, वाराणसी

सारणी – 7

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार

	प्राथमिक स्तर वादन /समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन/समय
भाषा–1 हिन्दी	9 वादन /6 घण्टे	6 वादन/4 घण्टे 30 मिनट
भाषा–2 अंग्रेजी	5 वादन/3 घण्टे 20 मि.	6 वादन/4 घं. 30 मि.
भाषा–3 संस्कृत	5 वादन/3 घण्टे 20 मि.	4 वादन/3 घं.
विज्ञान	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
गणित	9 वादन / 6 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
सामाजिक विषय	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
समाजपयोगी कार्य	3 वादन / 2 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
कला शिक्षण	5 वादन / 3 घण्टे 20 मि.	8 वादन/6 घं.

स्रोत – डायट, सारनाथ, वाराणसी

उपर्युक्त सारिणी–6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 179 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 185 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परिक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यो में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण

संयम से अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ानें, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों को विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों को जुलाई 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्य पुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से लगभग 1.60 लाख बालिकायें तथा बालक होंगे और इस पर लगभग 80 लाख रू0 व्यय होगा। नवीन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध ा कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रू0 2.50 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रिम कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा हैं। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य सन्दर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, वाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आध ारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्य पुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–2002 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी। जिससे 1.08 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 64.80 लाख व्यय होगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी, जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिए अच्छी तरह से तैयार कर सकें। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूलयांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञा शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संसाधन समूह क क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल

तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्जित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया

जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यो का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न

विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

1.1. मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर किये जायेगे तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका

वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विज़निंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	0[illegible] माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन

16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी.आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ मे इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक [illegible] तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम –

वर्ष 1994–95 में जनपद वाराणसी के 3 विकासखण्डों में एक–एक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तीन वर्षो के लिये प्रायोगिक तौर पर 'बालिकाओं के लिये कार्यानुभव' कार्यक्रम संचालित किया गया जिसमें स्थानीय कला /कौशल आधारित प्रशिक्षण बालिकाओं को प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत लड़कियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि कलारूपों का प्रशिक्षण दिया गया। इस परियोजना का बालिकाओं के नामांकन और ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार (Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra) जिन स्थानों पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से 'ड्राप आउट' नही हुई। यह निष्कर्ष इस धारण की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के 3 विकासखण्डों में तीन तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों /कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इसमें सिलाई कढ़ाई, फलसंरक्षण तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों को चिन्हित कर डायट पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर प्रभारी होगें। विद्यालयवार विभिन्न कौशलों के अनुसार स्थानीय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और सामग्री– उपकरण क्रय कर व्यवस्था की जायेगी। इन शिल्पों/ कौशलों के लिए सप्ताह में तीन दिन शिक्षण समय के उपरांत अंतिम दो वादनों में लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री क्रय विद्यालंय स्तर पर किया जायेगा। कार्यक्रम का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जायेगा। इस कार्यक्रम हेतु वित्तीय प्रस्ताव निम्नवत् हैं –

बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण–प्रशिक्षण

ट्रेड का नाम	ब्लाक की संख्या	केन्द्रों की संख्या	अनुमानित आवश्यक सामग्री	योग
1. सिलाई–कडाई	8	3	मानदेय रू 3000/– प्रतिमाह 10 माह	30000.00
			साज सज्जा 30000/– प्रति केन्द्र	30000.00
			आवश्यक सामग्री 2500/– "	25000.00
			योग	85000.00
			85000 X 8 x 3	204000.00
2. फल संरक्षण	6	3	मानदेय रू 3000/– प्रतिमाह 10 माह	30000.00
			साज सज्जा 30000/– प्रति केन्द्र	30000.00
			आवश्यक सामग्री 2500/– "	25000.00
			योग	85000.00
			85000 X 6 x 3	153000.00
3. हिन्दी टाइपिंग	5	3	मानदेय रू 3000/– प्रतिमाह 10 माह	30000.00
			साज सज्जा 30000/– प्रति केन्द्र	30000.00
			आवश्यक सामग्री 2500/– "	25000.00
			योग	85000.00
			85000 X 6 x 3	153000.00
अनुमानित कुल व्यय				5100000.00

डायट सुदृढ़ीकरण–

डायट स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाना प्रस्तावित हैं। इन कार्यकमों को सुगम बनाने के लिए कुछ सामग्री तथा उपकरण की आवश्यकता है।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के 3 विकाखण्डों में तीन–तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों/कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इसमें सिलाई, कढ़ाई, फलसंरक्षण तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों को चिन्हित कर डायट पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर प्रभारी होंगे। विद्यालयवार विभिन्न कौशलों के अनुसार स्थानीय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और सामग्री उपकरण क्रय कर व्यवस्था की जायेगी। इन शिल्पों/कौशलों के लिए सप्ताह में तीन दिन शिक्षण समय के उपरान्त अन्तिम दो वादनों में लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री क्रय विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। कार्यक्रम का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जायेगा। इस कार्यक्रम हेतु वित्तीय प्रस्ताव निम्नवत् हैं –

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रू०लाख में)
1.	कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	**50.00 लाख**

उपकरण/साज सज्जा

1.	कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग मशीन, फैक्स मशीन	1.50
	योग	**10.00 लाख**

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध/अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं/सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेसी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव/पी.ओ.एल.	0.50
	योग	**10.00 लाख**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उयपोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमो का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड नें से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी. आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सर्वा के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंघन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली:-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लख्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

निर्णयकर्ता समितियां		सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति		सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी०	→	राज्य परियोजना कार्यालय	←	एस०सी०ई०आर०टी० एस०आई०ई०, साईमेट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि
↓		↓		↓
जिला शिक्षा परियोजना समिति	→	जिला परियोजना कार्यालय	←	डायट, एन०जी०ओ० आदि
↓		↓		↓
क्षेत्र विकास समिति	→	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	←	ब्लाक संसाधन केन्द्र
↓		↓		↓
ग्राम शिक्षा समिति	→	विद्यालयप्रधानाध्यापक/अध्यापक	←	संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान — सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक — सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगेः-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भुमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलव्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 वेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

❖ जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
❖ मुख्य विकास अधिकारी	-	उपाध्यक्ष
❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य-सचिव
❖ प्राचार्य डायट	-	सदस्य
❖ जिला श्रम अधिकारी	-	सदस्य
❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	सदस्य
❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा)	-	सदस्य
❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.)	-	सदस्य
❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0)	-	सदस्य
❖ जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य
❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) जिलाधिकारी द्वारा नामित	-	सदस्य

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी हेगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी	
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्तव्य की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नही दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्द हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियें का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता में उपलव्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय सें भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के वच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॅार्ट स्टडीः-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टमः-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की, शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुनवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए वेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमैट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

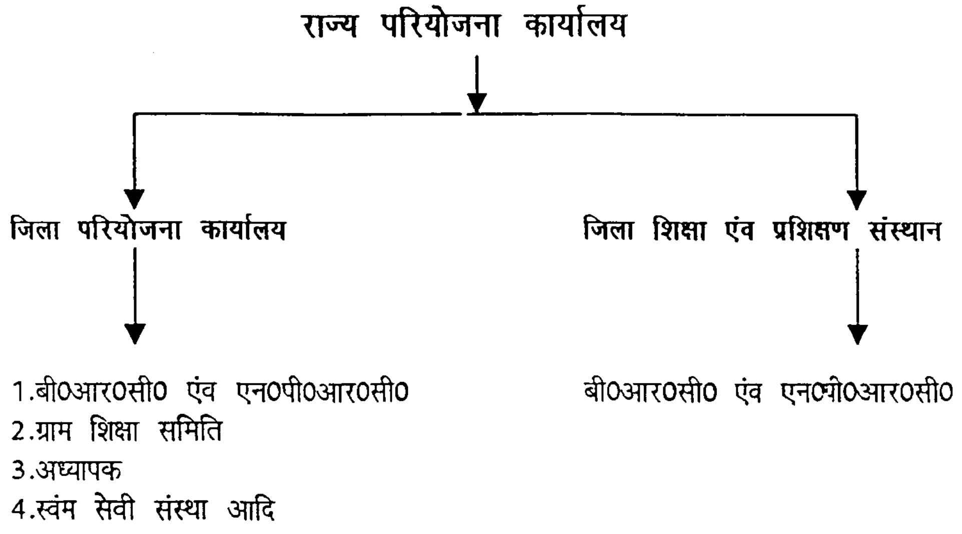

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरेन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियाान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड वैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगें। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेगें।

अध्याय - 11

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
VARANASI

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS																					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	20	5180	20	5180															40	10360
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	83	28054	83	28054	50	16900	23	7774											239	80782
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2 2×12=9.2	9.2	20	1104	40	4416	40	4416	40	4416	40	4416	40	4416	40	4416	40	4416	40	4416	340	36432
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	7	332	13944	664	55776	774	65016	866	72744	866	72744	866	72744	866	72744	866	72744	866	72744	6966	571200
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	83	3735	166	14940	216	19440	239	21510	239	21510	239	21510	239	21510	239	21510	230	21510	1800	107176
5	Furniture / Fixture & Equipment																					
	PS	15			40	600															40	600
	UPS	50			166	8300	50	2500	23	1150											239	11950
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1800
	Cohart Study	200			1	200					1	200					1	200			3	600
	Total		539	52217	1181	117666	1131	108472	1192	107794	1147	99070	1146	98870	1146	98870	1147	99070	1146	98870	9775	880899
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10	40	400	30	300	22	220													92	920
	Total		40	400	30	300	22	220													92	920
	Interventions for out of school children																					
A3	Alternative School (EGS + AIE)																					
	EGS																					

127

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
VARANASI

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	1200	848	3800	2538	6000	4230	6600	4653	6200	4371	2600	1833	2200	1551					28400	2002[illegible]
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Upper Primary	1.0 per child	100	100	200	200	300	300	400	400	500	500	200	200							1700	1700
	Total		**1301**	**996**	**3801**	**2788**	**6301**	**4580**	**7001**	**5103**	**6701**	**4921**	**2801**	**2083**	**2201**	**1601**	**1**	**50**	**1**	**50**	**30109**	**22172**
	Innovation for EGS	50			1	50															1	50
A4	Back to school campaign	1.5 per child			10	450	10	450	10	450	5	225									35	1575
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child			2	150	1	75													3	225
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa																				0	0
	SubTotal (A)		**1880**	**53613**	**5025**	**121404**	**7465**	**113797**	**8203**	**113347**	**7853**	**104216**	**3947**	**100953**	**3347**	**100471**	**1148**	**99120**	**1147**	**98920**	**40015**	**905841**
(R)	**RETENTION**																					
	Additional Classrooms PS	70	569	3983	559	39130	561	39270													1689	82383
	Additional Classrooms UPS	70	60	4200	60	4200	46	3220													166	11620
	Additional Teachers Primary School	7.7 x 12	670	30954	925	85470	1227	113374	1454	134349	1790	165396	1997	184522	2077	191915	2159	199491	2207	203926	14506	1309397
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5																			0	0
R1	Toilets (PS + UPS)	10	100	1000	72	720															172	1720
	Rec. of Old PS	191			17	3247															17	3247
	Rec. of Old UPS	270	2	540	3	810															5	1350
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18			40	720	46	828													86	1548

128

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
VARANASI

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Repair (PS+UPS)																					
	Minor	20			427	8540	43	860													470	9400
	Major	70			49	3430	17	1190													66	4620
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	218	1090	218	1090	218	1090	218	1090	218	1090	218	1090	218	1090	218	1090	218	1090	1962	9810
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	150	6000	150	6000	150	6000	150	6000	64	2560									664	26560
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school	20	40	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80	40	80	340	680
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school	83	166	166	332	166	332	166	332	166	332	166	332	166	332	166	332	166	332	1411	2822
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district	1	5000																	1	5000
	Promoting Girls Education																					
	Summer Camps	10 per camp	11	110	11	110	11	110													33	330
R6	MCDA including	75 per cluster	4	300	4	300	4	300	4	300	4	300									20	1500
	Gender Sensitization																					
R7	SUPW for girls	25 per school	10	250	10	250	10	250	10	250	10	250									50	1250
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre																			0	0
1	Strengthening ICDs Centres																					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100																	1	100
4	Civil Works (one additional room)	70																			0	0
5	TLM	5 per centre	40	200	60	300	100	500													200	1000
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	40	180	100	450	200	900	200	900	200	900	200	900	200	900	200	900	200	900	1540	6930

129

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
VARANASI

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre	40	60	100	150	200	300	200	300	200	300	200	300	200	300	200	300	200	300	1540	2310
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)																					
	Induction	3		120		180		300													0	600
	Recurring	1.2			40	48	100	120	200	240	200	240	200	240	200	240	200	240	200	240	1340	1608
R10	Community Mobolisation														-							
1	MTA/PTA Training	0.007	6185	87	6185	87			6185	87	6187	87			6185	87	6185	87			37112	522
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	108	864	108	864			108	864	108	864									432	3456
3	Development of Awareness Material	5 per block	8	40			8	40			8	40			8	40			8	40	40	200
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	108	540	108	540	108	540	108	540	108	540	108	540	108	540	108	540	108	540	972	4860
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10					1	10							1	10			3	30
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10			1	10			1	10									3	30
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50									5	250
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	27	135
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
R12b	Award for Best NPRC	7 Per Block	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	8	56	72	504
R12c	Award for Best Teacher	5 Per Block	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	72	360

130

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
VARANASI

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child																			0	0
R14	Assistance of NGOs. For SC/ST Education	0.705 per child																			0	0
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	1052	1262	1052	1262	1052	1262													3156	3786
1	Assistance of NGOs. For Integrated/ inclusive education	1.20 (per child)																			0	0
R16	Computer Education for UPS composite school	100	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000							60	6000
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	1076	538	1076	538	1120	560	1164	582	1214	607	1237	619	1237	619	1237	619	1237	619	[illegible]	[illegible]
	Book Bank & School Library PS	5.0 per school			1076	5380					1237	6185							1237	6185	3550	17750
	Sub Total (B)		10591	58865	12689	165449	5461	172657	10241	147145	11788	181002	4398	189794	10661	196314	10736	203860	5843	214423	82408	1529509
	(Q) Quality Improvement																					
Q1	Training Programmes																					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	670	1407	295	620	302	634	227	477	266	559	277	582	80	168	82	172	48	11	2247	4630
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	670	281	295	124	302	127	227	96	266	112	277	117	80	24	82	35	48	20	2247	936
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	20	9	20	9															40	18

131

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
VARANASI

31.07.2001 **(Rs. In Thousands)**

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	24	10	24	10	50	21	23	10											121	51
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	5691	3984	5986	4190	6288	4402	6515	4561	6781	4747	7058	4941	7138	4997	7220	5054	7268	5102	59945	41978
6	Inservice training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day			670	469	965	676	1267	887	1494	1046	1760	1232	2037	1426	2117	1482	2199	1539	12509	8757
7	Inservice training of EGS/AIE worker	0.07 per person per day	33	70	107	225	175	368	185	389											500	1052
8	Refresher course for Shiksha Mitra	0.07 per person per day					670	704	965	1013	1267	1330	1494	1569	1760	1848	2037	2139	217	2223	8410	10826
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day			30	32	140	147	315	331	325	341	75	79	55	58					940	988
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	16	11																	16	11
11	NPRC Coordinator's Training (10 days)	0.07 per person per day	108	76																	108	76
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day			16	6	16	6	16	6	16	6	16	6	16	6	16	6	16	6	128	48
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day			108	38	108	38	108	38	108	38	108	38	108	38	108	38	108	38	864	304
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	24	34	24	34	24	34	24	34											96	136

132

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
VARANASI

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	26	55	26	55	26	55	26	55	26	55	26	55	26	55					182	385
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	132	198					132	198					132	198					396	594
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	16	6			16	6			16	6			16	6			16	6	80	30
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	10	4																	10	4
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	10	300	10	300	10	300													30	900
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	396	891	396	891					396	891	396	891					396	891	1980	4455
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	1	70																	1	70
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	1774	621																	1774	621
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	72	252
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	3	8			3	8													6	16
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	1774	373	1774	373	1774	373													5322	1119
	Total		11406	8436	9789	7404	10877	7927	10038	8123	10969	9159	11495	9538	11456	8852	11670	8954	10324	9864	98024	78257

133

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
VARANASI

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
Q2	Teaching Learning Material																					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	5691	2846	6281	3141	6583	3294	6810	3405	7076	3538	7353	3677	7433	3717	7515	3758	7563	3782	62305	31158
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	960	480	1080	540	1200	600	1450	725	7565	783	1565	783	1565	783	1565	783	1565	783	18515	6260
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0.150 per	155023	23254	158433	23765	161918	24288	165490	24822	169120	24288	172840	25926	176642	26496	180528	87079	184499	27675	1524493	287593
	UPS	Child per year	77618	11643	85100	12765	92885	13933	106316	16039	127492	19124	129175	19376	132015	19802	135194	20263	138227	20734	1024522	153679
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	892	446	912	456	932	466	932	466	932	466	932	466	932	466	932	466	932	466	8328	4164
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	184	184	208	208	232	232	282	282	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	2431	2431
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000					1	1000					1	1000					3	3000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160			1	160			1	160			1	160					4	640
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10													3	30
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each	1	400							1	400									2	800
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each	1	400							1	400									2	800
12	School Awards	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Total		240375	41008	252017	41070	263754	43168	281783	46924	312495	49649	312172	50718	318896	52914	326041	112839	333093	53930	2640626	492220
	Subtotal (C)		251781	49444	261806	48474	274631	51095	291821	55047	323464	58808	323667	60256	330352	61766	337711	121793	343417	63794	2738650	570477

134

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
VARANASI

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C1	DIET																					
	Civil Work	5000			1	5000															1	5000
1	Furniture	100			1	100															1	100
2	Equipments (including audio visual)	300			1	300															1	300
3	Computers Work Station	600	1	600																	1	600
4	Vehicle (where applicable)	350																			0	0
5	Hiring	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
6	POL	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
7	Maintenance of Vehicle	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
8	Research/Action Research	200	1	100	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1700
	Seminars	200	1	100	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1700
9	Faculty Development	30	1	30	1	30	1	30													3	90
	Publication	400	1	200	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	9	3400
10	Exposure visits	50	1	50			1	50			1	50			1	50			1	50	5	250
11	Library	25	1	25			1	25			1	25			1	25			1	25	5	125
12	Salary of Computer Operator	7	12	42	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	108	714
13	Salary of Driver (where applicable)	4																			0	0
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Total		23	1212	23	6379	22	1054	19	949	21	1024	19	949	21	1024	19	949	21	1024	188	14564
C2	Block Resource Centre																					
1	Civil Construction	800																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0

135

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
VARANASI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
3	Asstt. Coordinator	5.5	1	204	1	528	1	528	1	528	1	528	1	528	1	528	1	528	1	528	9	4488
4	Chowkidar	3																			0	0
5	Equipment/Furniture	100																			0	0
6	Travelling Allowance	5	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	72	360
7	Maint of Equipment	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72	72
8	Maint of building	6	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	8	48	72	432
9	Books	10	8	80			8	80			8	80			8	80			8	80	40	400
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	1076	323	1076	323	1076	323	1120	336	1164	349	1214	364	1237	371	1237	371	1237	371	10437	3131
11	Consumables	5	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	72	360
12	Contingency	12	8	96	8	96	8	96	8	96	8	96	8	96	8	96	8	96	8	96	72	864
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	108	29	108	29	108	29	108	29	108	29	108	29	108	29	108	29	108	29	972	261
	Total		**1233**	**928**	**1225**	**1112**	**1233**	**1192**	**1269**	**1125**	**1321**	**1218**	**1363**	**1153**	**1394**	**1240**	**1386**	**1160**	**1394**	**1240**	**11818**	**10368**
C3	School Complex (NPRC)																					
1	Construction	200																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Equipment/Furniture	10																			0	0
4	Books for Library/Book Bank	5	108	540					108	540					108	540			108	540	432	2160
5	Contingency	2.5	108	270	108	270	108	270	108	270	108	270	108	270	108	270	108	270	108	270	972	2430
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	108	259	108	259	108	259	108	259	108	259	108	259	108	259	108	259	108	259	972	2331
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	1076	215	1076	215	1120	224	1164	233	1214	243	1237	247	1237	247	1237	247	1237	247	10598	2118
	Total		**1400**	**1284**	**1292**	**744**	**1336**	**753**	**1488**	**1302**	**1430**	**772**	**1453**	**776**	**1561**	**1316**	**1453**	**776**	**1561**	**1316**	**12974**	**9039**

136

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
VARANASI

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4	District Project Office																					
	Staffing Coordinators4																					
	Consultants2																					
	AAO																					
	Driver1																					
	(if vehicle is purchases)	7.7x12	1	426	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	9	7242
	Equipment	50		50		50		50													0	150
	Furniture & Fixtures	50																			0	0
	Books	10		10				10				10				10				10	0	50
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350																			0	0
	Motorcycle	50	12	600																	12	600
	Travelling Allowances	20		20		20		20		20		20		20		20		20		20	0	180
	Consumables	25		25		25		25		25		25		25		25		25		25	0	225
	Telephone/fax	30		30		30		30		30		30		30		30		30		30	0	270
	Vehicle Maintemance & POL	50		50		50		50		50		50		50		50		50		50	0	450
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	8	576	8	576	8	576													24	1728
	POL for Motor Cycle	12x4																			0	0
	Maintenance of equipment	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1076	170	1076	170	1120	177	1164	184	1214	192	1237	195	1237	195	1237	195	1237	195	10598	1673
	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	1076	323	1076	323	1120	336	1164	349	1214	364	1237	371	1237	371	1237	371	1237	371	10598	3179
	Total		2176	2305	2164	2121	2252	2151	2332	1535	2432	1568	2478	1568	2478	1578	2478	1568	2478	1578	21268	15972

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
VARANASI

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4 1	MIS	50																				
1	MIS Call Furnisning	50	1	50																	1	50
2	Salary of Computer Operator 3 Nos.	7 p.m. ×12	3	126	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	27	2142
	Salary of MIS Officer	10 x 12	1	60	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	9	1020
3	MIS Equipments (where applicable)	460																			0	0
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
5	Maintenance of equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Total		8	301	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	64	3797
	Sub Total (D)		4840	6030	4711	10793	4850	5587	5115	5348	5211	5019	5320	4883	5461	5595	5343	4890	5461	5595	46312	53740
	Grand Total		269092	167952	284231	346120	292407	343136	315380	320887	348316	349045	337332	355886	349821	364146	354938	429663	355868	382732	2907385	3059567

Note : Salary of Teachers in the 1st Year provided for Six Months.

138

SUMMARY OF PROJECT COST - I
VARANASI

(Rs. In Thousands)

YEAR	CIVIL WORK	MANAGEMENT COST	PROGRAMME	TOTAL COST
2001-2002				
Amount	51960	2606	113386	**167952.00**
2002-2003				
Amount	87707	2558	255855	**346120.00**
2003-2004				
Amount	75300	2588	265248	**343136.00**
2004-2005				
Amount	23990	1972	294925	**320887.00**
2005-2006				
Amount	35414	2005	311626	**349045.00**
2006-2007				
Amount	1090	2005	352791	**355886.00**
2007-2008				
Amount	1090	2015	361041	**364146.00**
2008-2009				
Amount	1090	2005	426568	**429663.00**
2009-2010				
Amount	1090	2015	379627	382732.00
TOTAL	**278731**	**19769**	**2761067**	3059567
As % of Total Cost	**9.11**	**0.65**	90.24	100.00

SUMMARY OF PROJECT COST - II
VARANASI

(Amount in Thousands)

YEAR	ACCESS	RETENTION	QUALITY	CAP. BUILDING	TOTAL COST
2001-2002					
Amount	53613.00	58865.00	49444.00	6030.00	167952.00
As % of Total Project Cost	31.92	35.05	29.44	3.59	100.00
2002-2003					
Amount	121404.00	165449.00	48474.00	10793.00	346120.00
As % of Total Project Cost	35.08	47.80	14.00	3.12	100.00
2003-2004					
Amount	113797.00	172657.00	51095.00	5587.00	343136.00
As % of Total Project Cost	33.16	50.32	14.89	1.63	100.00
2004-2005					
Amount	113347.00	147145.00	55047.00	5348.00	320887.00
As % of Total Project Cost	35.32	45.86	17.15	1.67	100.00
2005-2006					
Amount	104216.00	181002.00	58808.00	5019.00	349045.00
As % of Total Project Cost	29.86	51.86	16.85	1.44	100.00
2006-2007					
Amount	100953.00	189794.00	60256.00	4883.00	355886.00
As % of Total Project Cost	28.37	53.33	16.93	1.37	100.00
2007-2008					
Amount	100471.00	196314.00	61766.00	5595.00	364146.00
As % of Total Project Cost	27.59	53.91	16.96	1.54	100.00
2008-2009					
Amount	99120.00	203860.00	121793.00	4890.00	429663.00
As % of Total Project Cost	23.07	47.45	28.35	1.14	100.00
2009-2010					
Amount	98920.00	214423.00	63794.00	5595.00	382732.00
As % of Total Project Cost	25.85	56.02	16.67	1.46	100.00
GRAND TOTAL	905841.00	1529509.00	570477.00	53740.00	3059567.00
As % of Total Cost	29.61	49.99	18.65	1.76	100.00

अध्याय-12

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

VARANASI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	20	5180	20	5180
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	83	28054	24	28054
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2	9.2	20	1104	20	1104
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	7	332	13944	96	4032
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	83	3735	24	3735
5	Furniture / Fixture & Equipment					
	PS	15				
	UPS	50				
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200
	Cohart Study	200				
	Total		**539**	**52217**	**185**	**42305**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10	40	400	20	200
	Total		**40**	**400**	**20**	**200**
	Interventions for out of school children					
A3	Alternative School (EGS + AIE)					
	EGS					
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	1200	846	600	423
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	25
	Upper Primary	1.0 per child	100	100	50	50

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

VARANASI

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Total		1301	996	651	498
	Innovation for EGS	50				
A4	Back to school campaign	1.5 per child				
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child				
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa					
	SubTotal (A)		**1880**	**53613**	**856**	**43003**
(R)	**RETENTION**					
	Additional Classrooms PS	70	569	3983	569	3983
	Additional Classrooms UPS	70	60	4200	60	4200
	Additional Teachers Primary School	7.7 x 12	670	30954	670	30954
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5				
R1	Toilets (PS + UPS)	10	100	1000	100	1000
	Rec. of Old PS	191				
	Rec. of Old UPS	270	2	540	2	540
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18				
	Repair (PS+UPS)					
	Minor	20				
	Major	70				
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	218	1090	218	1090
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	150	6000	150	6000
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school	20	40	20	40
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school	83	166	83	166

142

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

VARANASI

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district	1	5000	1	5000
	Promoting Girls Education					
	Summer Camps	10 per camp	11	110	11	110
R6	MCDA including	75 per cluster	4	300	4	300
	Gender Sensitization					
R7	SUPW for girls	25 per school	10	250	10	250
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre				
1	Strengthening ICDs Centres					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100	1	100
4	Civil Works (one additional room)	70				
5	TLM	5 per centre	40	200	40	200
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	40	180	40	180
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre	40	60	40	60
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)					
	Induction	3		120		120
	Recurring	1.2				
R10	Community Mobolisation					
1	MTA/PTA Training	0.007	6185	87	6185	87
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	108	864	54	432
3	Development of Awareness Material	5 per block	8	40	4	20
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	108	540	54	270
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10	1	5

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

VARANASI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10	1	5
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district	1	50	1	25
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10
R12b	Award for Best NPRC	7 Per Block	8	56	8	56
R12c	Award for Best Teacher	5 Per Block	8	40	8	40
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child				
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child				
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	1052	1262	526	631
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)				
R16	Computer Education for UPS composite school	100	10	1000	5	500
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	1076	538	538	269
	Book Bank & School Library PS	5.0 per school				
	Sub Total (B)		**10591**	**58865**	**9409**	**56708**
	(Q) Quality Improvement					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	670	1407	335	704
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	670	281	335	141

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

VARANASI

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	20	9	10	5
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	24	10	12	5
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	5691	3984	2846	1992
6	Inservice training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day				
7	Inservice training of EGS/AIE worker	0.07 per person per day	33	70	17	35
8	Refresher course for Shiksha Mitra	0.07 per person per day				
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day				
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	16	11	8	6
11	NPRC Coordinator's Training (10 days)	0.07 per person per day	108	76	54	38
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day				
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day				
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	24	34	12	17
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	26	55	13	28
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	132	198	66	99
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	16	6	8	3
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	10	4	5	2

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

VARANASI

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	10	300	5	150
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	396	891	198	446
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	1	70	1	35
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	1774	621	887	311
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	8	28	4	14
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	3	8	2	4
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	1774	373	887	187
	Total		**11406**	**8436**	**5703**	**4218**
Q2	Teaching Learning Material					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	5691	2846	5691	2846
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	960	480	960	480
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0.150 per	155023	23254	155023	23254
	UPS	Child per year	77618	11643	77618	11643
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	892	446	446	223
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	184	184	92	92
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000	1	500
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	80

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

VARANASI

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	80
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	5
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each	1	400	1	200
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each	1	400	1	200
12	School Awards	25	1	25	1	25
	Total		**240375**	**41008**	**239834**	**39628**
	Subtotal (C)		**251781**	**49444**	**245537**	**43846**
C1	**DIET**					
	Civil Work	5000				
1	Furniture	100				
2	Equipments (including audio visual)	300				
3	Computers Work Station	600	1	600	1	600
4	Vehicle (where applicable)	350				
5	Hiring	5	1	5	1	5
6	POL	30	1	30	1	15
7	Maintenance of Vehicle	20	1	20	1	10
8	Research/Action Research	200	1	100	1	50
	Seminars	200	1	100	1	50
9	Faculty Development	30	1	30	1	15
	Publication	400	1	200	1	100
10	Exposure visits	50	1	50	1	25
11	Library	25	1	25	1	13

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

VARANASI

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
12	Salary of Computer Operator	7	12	42	12	42
13	Salary of Driver (where applicable)	4				
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10
	Total		**23**	**1212**	**19**	**935**
C2	Block Resource Centre					
1	Civil Construction	800				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Asstt. Coordinator	5.5	1	264	1	264
4	Chowkidar	3				
5	Equipment/Furniture	100				
6	Travelling Allowance	5	8	40	4	20
7	Maint of Equipment	1	8	8	4	4
8	Maint of building	6	8	48	4	24
9	Books	10	8	80	4	40
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	1076	323	538	162
11	Consumables	5	8	40	4	20
12	Contingency	12	8	96	4	48
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	108	29	54	15
	Total		**1233**	**928**	**617**	**596**
C3	School Complex (NPRC)					
1	Construction	200				
2	Salary Coordinator	6.5				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

VARANASI

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
3	Equipment/Furniture	10				
4	Books for Library/Book Bank	5	108	540	54	270
5	Contingency	2.5	108	270	54	135
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	108	259	54	130
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	1076	215	538	108
	Total		**1400**	**1284**	**700**	**642**
C4	District Project Office					
	Staffing Coordinators4					
	Consultants2					
	AAO					
	Driver1					
	(if vehicle is purchases)	7.7x12	1	426	1	426
	Equipment	50		50		50
	Furniture & Fixtures	50				
	Books	10		10		10
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350				
	Motorcycle	50	12	600	12	600
	Travelling Allowances	20		20		20
	Consumables	25		25		25
	Telephone/fax	30		30		30
	Vehicle Maintemance & POL	50		50		50
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	8	576	8	576
	POL for Motor Cycle	12x4				
	Maintenance of equipment	10	1	10	1	10
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

VARANASI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1076	170	1076	170
	Contingency	10	1	10	1	10
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	1076	323	1076	323
	Total		**2176**	**2305**	**2176**	**2305**
C4 1	MIS	50				
1	MIS Call Furnisning	50	1	50	1	50
2	Salary of Computer Operator - 3 Nos.	7 p.m. ×12	3	126	2	84
	Salary of MIS Officer	10 x 12	1	60	1	60
3	MIS Equipments (where applicable)	460				
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20
5	Maintenance of equipments	20	1	20	1	20
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25
	Total		**8**	**301**	**7**	**259**
	Sub Total (D)		**4840**	**6030**	**3519**	**4737**
	Grand Total		**269092**	**167952**	**259320**	**148294**

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National ... of Educational
... Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11489
DOC, No ... 09-07-2002
Date ...

150

परिशिष्ट

रजिस्ट्रेशन संख्या—177

रजि० नं० एल०डब्लू०/एन०पी० 890

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक संवत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1245/सत्रह-वि0-1—1(क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा; और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ख) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में शब्द और अंक "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर पर्यवेक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निदेश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हों।"

(च) खण्ड (ड–2) निकाल दिया जायगा।

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में,— धारा 5 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में अभिनिर्दिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा।

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,—

बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायगी;

(घ) धारा 18–क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद् लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी समझा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या आस्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।"

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10–क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :— धारा 10, 10–क और 11 का प्रतिस्थापन

"10—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत, परिषद् या राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और निदेशन

जिला पंचायत के कृत्य

के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :--

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, सामान्यतया ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय।

नगरपालिकाओं के कृत्य

10-क—यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :--

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

गांव शिक्षा समिति और उसके कृत्य

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक, (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :--

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।"

धारा 12-क का निकाला जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी।

नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी; अर्थात् :—

"13-क—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगर-पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।"

अध्यारोही प्रभाव

धारा 14 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1245 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-29-1999

Dated Lucknow, May 5, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. ACT No. 18 OF 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) In sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (e) *for* the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (e) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(f) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (b) *for* the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be *substituted*;

(b) in clause (c) *for* the words and figures "Mahapalikas constituted under section .. of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be *substituted*;

(c) in clause (d) *for* the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (c) *for* the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats and Municipalities" shall be *substituted*;

(b) in clause (d) *for* the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be *substituted*;

(c) in clause (*e*) *for* the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchayats or Municipalities" shall be *substituted*;

(d) in clause (*f*) the words "and in particular, to any [illegible] of any [illegible] such conditions as it thinks fit" shall be *omitted*;

(e) *for* clause (g-1) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistant with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, *Gram Panchayats*, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(*f*) clause (g-2) shall be *omitted*.

5. In section 5 of the principal Act,— | Amendment of section 5

(*a*) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be *omitted*,

(*b*) in sub-section (2),—

(*i*) in clause (*a*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

(*ii*) in clause (*d*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

6. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:— | Insertion of new section 9-A

Control of teacher and properties of basic schools

9-A(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,—

(*a*) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*b*) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*c*) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be;

(*d*) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (1) of section 9-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Substitution of sections 10, 10-A and 11

7. For section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshettra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely :—

Functions of Zila Panchayats

(a) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(b) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education ;

(c) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

Functions of Municipalities

(a) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(b) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(c) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(d) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(e) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

Gaon Shiksha Samiti and its function

(a) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(b) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(c) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely :—

(a) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(b) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*. Omission of section 12-A

. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be ted, namely :— Insertion of new section 13-A

"13-A. Over riding effect — Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect.".

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the ds "powers" the words "powers, except the power to make rules" l be *substituted*; Amendment of section 14

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the ds and figures "after December 31, 1977" the words and figures ter the expiration of the period of two years from the date of mencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) , 2000" shall be *substituted*. Amendment of section 17

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) dinance, 2000 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken der the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance ferred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education mendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education mendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done taken under the corresponding provisions of the principal Act as ended by this Act as if the provisions of this Act were in force at l material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

539
3/6/99

संख्या:2604/15-5-99-282/98

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0सभी के लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यत: निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1-जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
3- लेखाधिकारी,कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

....2..

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत "शिक्षा मित्रों" के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रुपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रुपये 400/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी।

7- कृपया तदनुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आंगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ०प्र०।
4- निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार चयनित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आंगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ०प्र० शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ०प्र० लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) उ०प्र०
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
9- शिक्षा निदेशक (मा०/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ०प्र० लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग-1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
12- शिक्षा xxxx विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या: 2604/15-5-99-282/98 दिनांक 26 मई, 1999 का संलग्नक।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना की रूप रेखा निम्नवत् है। यह योजना शैक्षिक सत्र 1999-2000 से लागू होगी।

शिक्षा मित्र संकल्पना

1- स्थानीय आवश्यकता और माँग के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध इण्टरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से निश्चित मानदेय पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र" होगा।

2- (1) शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

(2) ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में "शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है।

शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता

3- (1) शिक्षा मित्र (पुरुष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

(2) उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से जहाँ ऐसे अर्हताधारी महिला/पुरुष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष को चिन्हित किया जायेगा।

(3) किसी भी विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा "शिक्षा मित्र" का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण

4- निदेशक परियोजना द्वारा बी०ई०पी०/डी०पी०ई०पी० परियोजना से आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बे०) द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे ।

आयु

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य सक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति (महिला/पुरुष) का चयन किया जा रहा है।

शिक्षा मित्र का चयन

6- (क) ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के चयन हेतु बैठक आहूत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

(ग) समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आँकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाकर निकाली जायेगी । तद्नुसार (81) छात्र संख्या पर 3 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की पूर्ण संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आँकलन किया जायेगा।

(घ) विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50% महिलायें होंगी। इनका भी चयन बिन्दु (ख) में इंगित आधार पर किया जायेगा।

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रचलित नियमों/निर्देशों का पालन यथावत सुनिश्चित किया जायेगा।

....3...

(घ) ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा।

संविदा की अवधि

7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जायेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संविदा अवधि का मानदेय

8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रूपया 1450/- प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर रखा जायेगा।

संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया

9- (1) किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(2) संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जायेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति

10- (1) उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित सत्यापन एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करने निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे।

(2) अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रूपया 1450/-

प्रतिमाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

(1) प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0 400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन त[था] प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक ऐसे शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व को निर्वहन करने को तैयार हो, किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्रा[म] शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ए[वं] प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोध[ात्मक] प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवा[स] भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण

12- (1) शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखतः इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / तरगना स्कूल पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक दिवस[ीय] कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस ए[क] दिवसीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्[द्र] समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उसकी समस्याओं का समाधान

किया जायेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जायेगा। यदि कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से सम्भव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जायेगा।

।।।। शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे। किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक / प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगे।

।।।।। ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति "शिक्षा मित्र" भी पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

।IV। विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी। यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तब ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार संविदा समाप्त सकती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती

अनुदान की व्यवस्था

13- ।।। इस योजना के अधीन " शिक्षा मित्र" के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक । बेसिक । द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि का आगणन निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जायेगा तथा एक किश्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी किश्त पूर्व स्वीकृत किश्त के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी। धनराशि दो समान किश्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

14- प्रस्तर -10 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किश्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की नियमानुसार वसूली करायें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक;

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,

निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4386/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुत: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनको सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों निर्देशों के अनुसार प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है:-

1. शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक(बे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन</u>:

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(बे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(बे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को बरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. <u>ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत से जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

4. <u>शिक्षा मित्र की अर्हतायें</u>:

शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों से संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. <u>शिक्षा मित्र का कार्यकाल</u>:

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वत: समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुन: इस रूप में कार्य करनेका अवसर नहीं दिया जायेगा।

6. <u>शिक्षा मित्र का मानदेय</u>:

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. <u>शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण</u>:

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू0 2250/- के स्थान पर रू0 400/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें नि:शुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

निर्दिष्ट अर्हता/अधिमानी अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवायें सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के (10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अधिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानक के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते है तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं कियाजायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नही रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिसे शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

प्रारूप-एक

शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
ग्राम शिक्षा समिति,
ग्राम पंचायत -..............................
जिला -....................................

महोदय,

ग्राम पंचायत-..द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक.......................को प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मै शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनायें निम्नवत् है:-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पंचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -

(क) हाई स्कूल -	श्रेणी	प्राप्तांक
(ख) इण्टरमीडिएट	श्रेणी	प्राप्तांक
(ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0	श्रेणी	प्राप्तांक

5. जन्म तिथि

[(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]

6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्ते मान्य होंगी।

दिनांक-

भवदीय,

नाम/पता:

8. <u>शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:</u>

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा; किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादामिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखतः इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तथा संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रविशंकर)
सचिव ।

<u>संख्या: व दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

(ओ0 डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

प्रारूप-दो

शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मै...आत्मज/पत्नि...

ग्राम...पंचायत समिति...

जिला...स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मै गांव के विद्यालय में एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मै एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नही समझूंगा/समझूंगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूँगी।

2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नही किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डो पर मै खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।

3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।

4. मै ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते है तो मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।

5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित में पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उद्दारी नही करूँगा/करूँगी।

6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनायें तथ्यहीन या असत्य पायी जायें तो उनकी तथ्यता प्रकाश में आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।

7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो मुझे हटा दिया जावे।

8. शिक्षा सत्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में यदि मै सफल नही हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक — हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:रा0प0नि0/ 539 /2001-2002
लखनऊ, दिनांक 7 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :-

(1)	प्रमुख सचिव, शिक्षा	अध्यक्ष
(2)	सचिव, बेसिक शिक्षा	उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य
(6)	निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य-सचिव
(7)	निदेशक, बेसिक शिक्षा	सदस्य
(8)	निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	सदस्य
(9)	भारत सरकार द्वारा नामित एक सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	भारत सरकार द्वारा नामित एक गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(12)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण का निदेशक	सदस्य
(13)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(14)	निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना	सदस्य
(15)	निदेशक, साइमेट, इलाहाबाद	सदस्य
(16)	निदेशक, एस0आई0ई0टी0, लखनऊ	सदस्य

(17) निदेशक, महिला समाख्या — सदस्य

(18) सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हो। — सदस्य

(19) प्रमुख सचिव (शिक्षा) द्वारा नामांकित चार गैर सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति तथा एक अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य हो। — सदस्य

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का वहन करेगी :-

* शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति यथापेक्षा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत होगी।
* इस समिति को अपने सदस्यों के मध्य में समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी व्यक्ति विशेष को समितियों/उपसमितियों पर कार्य करने के लिए "कोआप्ट" करने के लिए अधिकृत होगी।
* यह समिति ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर चिन्हित स्टेट सोसाइटी– "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के लिए प्रदेश में योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रदेश में योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
* इस समिति में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों" के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रगति और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन कार्यों के निष्पादन की शक्ति निहित होगी और समिति इन कार्यों को करेगी अथवा सदस्यों के माध्यम से करायेगी।
* योजना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति या सेकेन्डमेन्ट के आधार पर "स्टेट सोसाइटी" के निर्देशन में व्यवस्था करायेगी।
* राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यह समिति योजना से सम्बन्धित नियमों/विनियमों तथा यथासंभव उसके आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी।
* स्टेट सोसाइटी के लिए योजना के कुल व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार से तथा 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त करेगी तथा उसे सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।
* समिति का अलग से लेखा होगा और बैंक में अलग से खाता खोला जायेगा, जिसके लेखे का प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा।

.......3/-

* योजना की शुरूआत में प्रदेश के जनपदों में स्कूल मैपिंग/माइक्रो-प्लानिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग के अभ्यास के बाद योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को जनपदों से प्राप्त करेगी। इन प्रस्तावों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
* वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स के संचालन सम्बन्धी संकलित प्रस्तावों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त करेगी।
* समिति शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों को विचार-विमर्श हेतु स्वीकार करेगी, जिन प्रस्तावों के साथ समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति परिलक्षित हो रही हो।
* स्वैच्छिक संगठनों का योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उन आवेदन पत्रों का वास्तविक मूल्यांकन कर उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों का अनुदान जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी तथा अनुदान स्वीकृति प्रदान करेगी।।
* समिति प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लागू किये गये शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु एक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित कर कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करेगी।
* कार्यक्रमों के अनुश्रवण में विभिन्न समितियों के साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त करेगी।।
* अपेक्षित स्तर तक कार्य करने में स्वयं सेवी संगठन यदि चेतावनी के बाद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें "काली सूची" में दर्ज करते हुये ऐसे संगठनों के विरूद्ध समिति विस्तृत अनुसंशाएं प्रस्तावित करेगी।
* समिति योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के संचालन हेत अनुदेशक मनोनयन, उनके प्रशिक्षण, केन्द्र/कोर्स हेतु पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करेगी।
* इस योजना में विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी आयोजित करायेगी।
* यह समिति विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं (बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा) का ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कनवर्जेन्स एवं कोऑर्डिनेशन का लगातार अनुश्रवण करेगी।

.......4/-

x · x

* यह समिति प्रदेश में संचालन किये जाने वाले शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। समिति वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उसके बजट को भी अनुमोदित करेगी।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 539 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(6) शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
(7) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(8) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भ नई दिल्ली।
(9) सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
(11) निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, लखनऊ।
(12) निदेशक, साइमेट, एलेनगंज, इलाहाबाद।
(13) निदेशक, एस0आई0ई0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(14) निदेशक, महिला समाख्या, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।
(15) सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:-रा0प0नि0/ 466 /2001-2002

लखनऊ, दिनांक: 15 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। जनपद सतर पर एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन का कार्य उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन कार्यालय ज्ञाप सं0:542/1996-97 दिनांक 17.06.96 द्वारा पूर्व से गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है :

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अनु0 जाति/अनु0जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
5.	दो महिला ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
6.	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद्	सदस्य
8.	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य
9.	एक शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11.	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
12.	जिला कार्यक्रम अधिकारी {आई0सी0डी0एस0}	सदस्य
13.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
14.	लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
14.	समन्वयक महिला समाख्या	सदस्य
15.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त एजूकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नावचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों को वहन करेंगी :-

﴾1﴿ जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।

﴾2﴿ योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

﴾3﴿ शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिजकोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

﴾4﴿ राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।

﴾5﴿ यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना बजट प्रस्तावों के साथ तैयार करेगी और उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

﴾6﴿ समिति जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।

﴾7﴿ समिति जनपद से निम्न स्तरों ﴾विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर﴿ पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी।

﴾8﴿ समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।

﴾9﴿ समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा, जिसका प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।

﴾वृन्दा सरूप﴿
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

......3/-

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 466 /2001-2002 तद्‌दिनांक

<u>प्रतिलिपि:-</u>

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।

(4) जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश।

(5) मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(6) अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।

(7) अध्यक्ष, महापालिका, उत्तर प्रदेश।

(8) जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(9) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(10) जिला कार्यक्रमअधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश।

(11) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं पशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

(12) अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

(13) समन्वयक, महिला समाख्या।

(14) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(15) शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

(वृन्दा स्वरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियाजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन
बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-2000/ई0-2-2000-2/13(9)/93
लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2000

कार्यालय ज्ञाप

ब्राह्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" (डी0पी0ई0पी0) के द्वारा अर्ली चाईल्ड केयर एण्ड एजूकेशन (ई0सी0सी0ई0) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, संलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

(1)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0	सदस्य
(3)	सम्बन्धित विकास खण्ड के प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(4)	सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई0सी0डी0एस0	सदस्य/सचिव
(5)	सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी	सदस्य
(6)	जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा	सदस्य

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में दाखिला लें तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाने वाले ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहां के स्कूल खुलने और बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र का संचालन करेगी और उसकी केन्द्र सहायिका, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेगी। अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उन्हें इस बढ़े हुए कार्य के सम्पादन हेतु निम्नवत् प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

1- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रू0 250/-
2- [illegible] रू0 125/-

जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

(डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत चलाये जा रहे ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन होगा, वहां की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी । उपरोक्तवत् आवंटित मानदेय सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम शिक्षा निधि में हस्तान्तरित की जायेगी । प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमित रूप से ग्राम निधि के माध्यम से ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ।

5- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रु०5000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रु०1500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी । जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थल का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, वहां यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रु०5000/= की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय रूप से निर्माण में व्यय की जा सकती है । शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व साज-सज्जा आदि पर प्रस्तर-1 में वर्णित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी । आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी । अतः रु० 5000/= की धनराशि अनावर्तक अनुदान भी ग्राम निधि में स्थानान्तरण की जायेगी ।

6- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किए जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से हो तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्र में आने वाले बच्चों का ठीक से लेखा-जोखा रखा जाए ।

7- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे निम्बू, अमरूद तथा पपीता के पेड़ लगाना अनिवार्य होगा । इन पेड़ों की पौध क्रय करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा । प्रत्येक
का यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी केन्द्र की माप के आधार पर अधिक से अधिक इन पेड़ों को लगाए क्योंकि इन पेड़ों के फलों से बालकों को प्राकृतिक रूप में प्रचुर पुष्टाहार उपलब्ध हो सकेगा ।

.........3

8- प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित पर्यवेक्षण करे और अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड की बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2000(1)/60-2-2000, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, निशातगंज, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4- सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
5- सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक।

आज्ञा से,

(राम बहादुर सिंह)
उपसचिव।

क्र०सं० जनपद का नाम	विकासखंड का नाम	ग्रामों की संख्या	
1 2	3	4	5
1- देवरिया	बरहज	35	तलरही, दौलत, मंझिल; सहुडा भरथ, बैरा, रामपुर इक्लाल, अयापार, करमहा, लाहलहा, नारदपार, हरकौला, कोटवा, परसिया, ममोहर, हरिहरे, मठियरता, इताहत उपाध्याय, लवकनी गंगा, हरहरी, मंगापथ, करायबहुत, छछैरार, जयनगर, दरिलिया, हुकह, नियांदुर, बहुवाछपरा, होरी, महेन, मालियनारा, पयोहा, देवपार, कोहुआ, छापिया मुर्क, डअरामोहा, गिजांदुर, लक्ष्मीपुर, ईश्वर लयवती ।
	रुद्रपुर	18	महुवा, दोलारिया, मलिहरपुर, बहुआमार, रामगढ़, बहलोली, केनटलिया, सरोलिया, कुरैहा, मछिया तियारी, बनकूल, बगवाजान, मझियारी, सरविपुरा, रामईपुर, शीतलगढ़ा, तारासारा, बहरहा ।
	सलेमपुर	10	वरा।।।।, अपलपुर, नैनीपुर, देवरिया रफे रामपुर, हरबलकोर, आमरौली, बकरा गोसाई, बांदपलिया, दिया डासमाली, गलकौली ।
	बैतालपुर	12	सुकुरपुर, जगदीशपुर, बेलडरिया, गोविन्दपुर, पाण्डेयपक, करमैल बजरही, पहुड़ीपुर, बरारी ।परशारा।, बोकहाडाल, नेवई, असवां, महराजगंज, ईटवां ।
2- आजमगढ़	दोरापल	67	रहटारी, परसौजा, फरवोला, पुरजा, महका, नौगई, रमला, देवगढ़, मछिकुडा, रियुद्वार, रहेउर, पियरेडी -।, हिलौली, पडयोमिया, मडवहा, मुरेठ, अहरौरा; अोरिहार, मझौली, पिपरपार, घोरखल, मिझवली -।, रहेठी -।, मौली, फेफनी-, हिरहाई, बहरदेवा अोमिती, रामपोखर, इरवनी, मिलहार, दुरलाल -।, मिरो, मजरया, पुरकेमा, फुलवारी, सिवेठ, फेवरा, महुआ, पाण्डेय, कुरसियापा, सिलौली, ओदार बरहौला, पिडरिया, सीतमहार, फेहरिया, नैरा-।, जुहनरिया-।, दापडेगरोल, कुआ, बरसोल [illegible]

	दुधी	44	वीडर, रजङ्, दुम्हाल, महुवरथा, गुलाहरिया, दमोरा, शारोफला, स्टोली, शारोकुई, पिपराडी, मझौली, रजु, मल्देवा, चपाड, मझरी, टेहा, दीहा, हमवां, झखवार, मिमिताडीह, पिपरडीह, नगहुर, हरपरा, महली, दारिहा, मडीरेमर, सतेयाडीह, टरती, डोतदा, मुरसेवा, कोतिलडूथा, बसाजुडा, देवाल रजकडु-।।, दुम्हाल-।।, इहमाडी, करसा दमोर।अपता, स्टोली, दमोरा, महुआरिया, डुमरडीहा, कोपर, दीदुम। डुमरडीहा।
3- ललितपुर	मडावरा	16	रहथांव, गुरयाजा, वैरपारा, मढावरा, अर्जुनहिरिया, मोजा, गोजा, रजपारा, झकोजा, अलंदर, पड्डिश्ला, टोलवा, पीरीलागर, बमराला, उदवजाईं, डोमरा
	पिरथा	04	लालावेहट, कुबलौरा, पटलेसरा, पौरी।
	पार	25	पारोज, टोडी, भैलगवा, जरावती, मोगाल, वार, धार, देवराल, पिंगलोआ, नाजपुर, डमराला, कारीटोरन, ईलोंलीलोन, गैदोरा, कलवारा, दवआ, मददरारा, भारोली, बगारा, हीरापुर, पिपला, करबई, दिदोरा, ईतवारा, स्यावली।
	अलोरा	03	पितरा, सिवलीपुई, बगरोआ।
	महरौनी	03	पठा, कम्हेड़ी, बैजयारा।
	तालबेहट	24	करेगा, वजगवरला, सिजरोठा। वोलाई।, म्यांव, मड कोटरा, उदगुवां, सिजवपुरा, पूराकलां, पुराखली, झूमेरा, कडेसरकलां, सेरयांकलां, सिवरौठा, सिहारीपुरा, रातीपरा, भादौ, पडहेरा, हरटोरा, ककड़ारी, रमपुरा, मझौरी, हमिला, रजायत।
4- बदायूं	वजीरगंज	25	रोठा, अकौलिया, म्यांई-गोठा, कलिहा-कालपुर, मोहउया, पेमल, पररैल, आगी हरनालपुर, मुईमपुर, मीहौली गंज, रसौड़िया, उरैना, हरनालपुर, दौरकहर, कुमुआ, मीरापुर, पिकजरी, पाकरपुर, कौर, ढोटा, कुवंवारी, डारा, मतिमलोटिया, सिहरा, अकोट लहराधार।

	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] 3दगपुर, [illegible] ।
5- महराजगंज	[illegible]	11	[illegible], [illegible]-2, [illegible], देवीपुर, [illegible] ।
	महराजगंज	15	[illegible], [illegible] ।
	[illegible]	10	[illegible], [illegible]
	फरेन्दा	40	[illegible], [illegible], [illegible], गोपालपुर [illegible], [illegible], देवीपाटन, [illegible] । पंचरुखी, हरपुर, [illegible] ।
6- [illegible]	[illegible]	21	[illegible], [illegible] ।
	[illegible]	21	[illegible], [illegible]

7-	फिरोजाबाद	शिकोहाबाद	49	रजावली, रहटी, नगला [illegible], सिरसगंज, [illegible], अरांव, हटौली, [illegible]पुर, मोहम्मदाबाद, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]पुर –[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर –[illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर।
		टूण्डला	41	मोहम्मदपुर, टूण्डला [illegible], टूण्डला [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], टूण्डली, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवखेड़ा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible]।
8-	लखीमपुर खीरी	निघासन	25	[illegible], [illegible]पुरवा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुरवा, [illegible]।
		[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवरिया, [illegible]पुरवा, [illegible], [illegible], [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],

				[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], पतुरी, कोसिया, अयविहिया । अमेठी ।
–	फरादाबाद	मुहम्मदाबाद	15	मनोहरपुर, सिकरोला, दादनापुर, [illegible], [illegible], हरोलीपुर, रानपुर, सिकन्दर, देवकी, कमालपुर, देहदादपुर, सरकड़ी कासमपुर, रसूलपुर, [illegible], कोलपुर, [illegible], सिरामपुर, मनोहरलाल [illegible], पानमपुर, इटेठा, पापकड़ा ।
		चित्रा.	09	मरकुला, रसलपुर, [illegible], रुदोहरा, [illegible] काली, राजा का सहमपुर, कुड़, गैदरा, [illegible] ।
		कुवरवी	15.	पितुपुर, रामनगर, पिडिया ठेर, हातीपुर सिंह, चाँदपुर मझोला, गौतमपुर, नाजपुर, हरिपाल, मझोला, भाव, अटपुरा, तापुर, कमालपुर, कादीपुर, पाहपुर, तहबलपुर, [illegible] ।
10–	गोण्डा	पडरीकृपाल	25	पकड़ी ऊँचवार, कहरिया हरियाँग, लेदकपुर, सिंगारपुर, रसूलपुर यान, पिपरा दोरिया द्वितीय, रेकापुर, पिपरा, सिटोरा, [illegible], [illegible], मिश्रपुर, कुदरेरदारा, ठर रामोहन, पिपिरा, उन्नीपुर द्वितीय, दवोरवा, चिलचांवड़, [illegible], कुड़ेरवा भारी, बोलपुर, पीरपुर, [illegible], [illegible], इमरापुर, सिरसीलया, कापुलगो, सीटी, पटरवाली, गंतारी ।
11–	हरदोई	सण्डीला	25	पुलमक, मीनी, [illegible], कुरमक, अटवारी, छिरहौटी, अतरपुर, बेगमगंज–II, [illegible], हाफ–I, पराका, हरेदपुर, ससारा, [illegible], [illegible], [illegible]–I, [illegible], [illegible]–I, [illegible], [illegible], मडफिया, [illegible], सोहिनामऊ, [illegible]–I, टिकरा, मीरनगर अलगंवा ।
		कछौना	22	महटी, कुरही, [illegible], रमौरी, परवा, [illegible], [illegible], गोरया, समसपुर, [illegible], पुरवा, [illegible], [illegible] देव, परौली, कमुदन, गौरी, उनवार–II, [illegible]–[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

2- बरेली बरेली शहर 124 इंदिरानगर, बाहबाई, संजयनगर, सिविल लाइन्स, राजेन्द्रनगर, मढ़ीनाथ, प्रेमनगर, चौधरी मोहल्ला, कोहाड़ापीर, सूफी टोला, किला, मलूकपुर, गंगापुर, बिहारीपुर, कांकरटोला, करगैना, स्वालेनगर, रबड़ी टोला, नवाबगंज, कटरा चाँद खाँ, जोगी नवादा, बाकरगंज, सुभाष नगर, कुतुबखाना, शाहदाना, आलमगिरीगंज, सैदपुर, खन्नू मोहल्ला, बानखाना, रोहिलखण्ड, मठ की चौकी, बड़ा बाजार, बमनपुरी, नेकपुर, बीबीजी का तालाब, फतेहगंज, कुम्हारों की बस्ती, डेलापीर, जसौली, एजाज नगर, गौटिया, चौपुला, बेलदारान, करमपुर, रामपुर बाग, बांसमण्डी, कालीबाड़ी, बारादरी, कटघर, जगतपुर, गंगापुर, सौदागरान, जोगी नवादा, ..., हरुनगला, ...

(दबी, फीकी टाइप होने से इस सूची के शेष नाम पढ़ने योग्य नहीं।)

13- पीलीभीत ... 25 ...

(सूची अपठनीय)

....

		नौतनपुर	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मोहनापुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], करमी, [illegible], [illegible], दुरहा, [illegible], मुबंदी, [illegible], [illegible], बरोहिया, महदेवा, बहारा, [illegible], [illegible] पुर [illegible], सिकरपानियरा, [illegible], [illegible] पुर [illegible], रसूलकलपुर ।
		पिपराइच	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], तुरकहिया, सिसरौली, बरेवा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बकुरा, [illegible] सिलहरा, [illegible], [illegible], [illegible] बरौरी, बसुरिया [illegible] ।
14-	सिद्धार्थनगर	बाँसी	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर-सिद्धार्थनगर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], महदेवा [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], कुरिया ।
		डुमरियागंज	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] आतौ, [illegible], परसा [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रेहरा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		बर्डपुर	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], सीतपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रजवापुर ।
15-	संतकबीरनगर	बघौली	22	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], परसा [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] ।

......

संख्या-3274/5-11-2000-ई-42/

प्रेषक,

डा. जे.डी. माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
निशातगंज लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

4. महानिदेशक
रा.शै.अनु. एवं मूल्यांकन
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 20

विषय:- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण

:-----:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम.एल.17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिसकी सूची संलग्न है, समस्त जनपदों को स्थानीय सी.ओ.आई.यू.एन के अन्तर्गत लिया गया है, लागू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की सेवा-सेवा में सुनियोजित ढंग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ कार्ड बनाना, रेफरल कार्ड बनाना, विकलांग बच्चों का चिन्हित करना व उन्हें स्वास्थ्य-वर्धक सेवा तथा पूर्ण चिकित्सा (डी-वार्मिंग:

[illegible]

अभियान चलाया जाता है ताकि बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार आवश्यकतानुसार हो सके।

3. उक्त कार्यक्रम के सुचारु संचालन हेतु शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) इस कार्यक्रम को तीन चरणों में माह 15 अगस्त, 2000 से दिसम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करके सभी विद्यालयों को तद्नुसार सूचित करायेंगे।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में एक माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हेल्थ कार्ड तथा संदर्भ कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि वजन नापने की मशीन व हाईट स्केल उपलब्ध हों।

(3) आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर सुदूरस्थ स्थानों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

(4) बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्ड व सन्दर्भ कार्ड राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस संदर्भ में जो कार्ड बनाये जायेंगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

1.	लाल संदर्भ कार्ड	गम्भीर रोगों के लिये
2.	पीला संदर्भ कार्ड	कम गम्भीर रोगों के लिए
3.	हरा संदर्भ कार्ड	साधारण रोगों के लिए

स्वास्थ्य कार्डों व संदर्भ कार्डों में प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं इनके रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापक को सहयोग करेंगी।

5- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठकें करके इस परियोजना की समीक्षा करेगी और आने वाली समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6- जिलाधिकारी जनपद में रेडक्रास सोसाइटी एवं अन्य स्वयंसेवी/स्वैच्छिक/धर्मार्थ संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय से कृमिनाशक (डी-वार्मिंग) औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ब्लॉक में सी.एच.सी. स्तर पर परीक्षण किये जाने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये सी.एच.सी. पर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह कोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और उस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस दिन ई.एन.टी. सर्जन, आर्थोपैडिक सर्जन तथा नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। दिवस/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में इसका विशेष प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय अधिकारी भी इसकी सूचना प्रत्येक गाँव पंचायत व विद्यालय को पहुँचायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तदनुसार सम्पन्न कराने तथा प्रगति प्रत्येक माह संलग्न प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिये शिक्षा परियोजना एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा प्रकोष्ठ, शिक्षा भवन, लखनऊ को तथा उसकी एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण को अवगत करायेंगे।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

(डा० पी.डी. माहेश्वरी)
सचिव।

संख्या-3274(1)/5-11-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव ~~[illegible]~~ महोदय के सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।

3- सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड।

5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

[initials] 6-8-2000

आज्ञा से,

[signature]

(कमलिनी श्रीवास्तव)

अनु सचिव।

उ0प्र0 राज्य के लिए शिक्षा परियोजना {बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद}

1. वाराणसी
2. भदोही
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. बांदा
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पौड़ी
11. नैनीताल
12. ऊधम सिंह नगर
13. कौशाम्बी
14. औरैय्या
15. हाथरस
16. चन्दौली
17. चित्रकूट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम {डी0पी0ई0पी0 जनपद}

1. महाराजगंज
2. सिद्धार्थनगर
3. गोण्डा
4. बदायूं
5. लखीमपुर खीरी
6. ललितपुर
7. पीलीभीत
8. बस्ती
9. मुरादाबाद
10. शाहजहांपुर
11. सोनभद्र
12. देवरिया
13. हरदोई
14. बरेली
15. फिरोजाबाद
16. बलरामपुर
17. ज्योतिबाफुले नगर
18. संत कबीर नगर

डी०पी०ए०पी० जनपदों की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम
1.	उन्नाव
2.	रायबरेली
3.	कानपुर देहात
4.	फर्रुखाबाद
5.	कन्नौज
6.	मैनपुरी
7.	इटावा
8.	आगरा
9.	मथुरा
10.	मेरठ
11.	बागपत
12.	बुलन्दशहर
13.	गाजियाबाद
14.	गौतमबुद्ध नगर
15.	कुशीनगर
16.	झांसी
16.	जालौन
18.	फैजाबाद
19.	अम्बेडकर नगर
20.	सुल्तानपुर
21.	आजमगढ़
22.	बलिया
23.	मऊ
24.	जौनपुर
25.	गाजीपुर
26.	मिर्जापुर
27.	प्रतापगढ़
28.	फतेहपुर
29.	हमीरपुर
30.	महोबा
31.	मुजफ्फरनगर
32.	हरिद्वार
33.	बिजनौर
34.	बागेश्वर
35.	पिथौरागढ़
36.	चम्पावत
37.	उत्तरकाशी
38.	टिहरी
39.	रामपुर
40.	बाराबंकी
41.	बहराइच
42.	श्रावस्ती
43.	[illegible]

विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट

जनपद का नाम:............

रिपोर्टिंग माह ....

क्र0 सं0	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया	छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया			सामु0स्वा0 केन्द्रों में विकलांगों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	श्रव्य दोष	दृष्टिदोष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

विद्यालय एवं कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

भाग – एक

कुल अंक – 9

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
1	विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई	1	• वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल–कूद का सामान तथा अन्य कार्य
2	शौचालय का रखरखाव / प्रयोग	1	• क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? • क्या शौचालय स्वच्छ हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
3	पीने के पानी की व्यवस्था/ हैण्ड पम्प का रखरखाव	1	• क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है?
4	विद्यालय अभिलेख का रखरखाव	1	• बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक/कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक/अभिभावक शिक्षक बैठक/कार्यवाही पंजिका

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
5	विद्यालय–वाह्य भीति की साज–सज्जा	1	• सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका • शैक्षिक मानचित्रण • विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान) • विद्यालय सूचना पट्ट • खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर)
6	कक्षा–कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता	1	• क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं? • छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
7	कक्षा–कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना	1	• शिक्षण अधिगम सामग्री • अनुपूरक शिक्षण सामग्री • मानचित्र / ग्लोब इत्यादि
8	छात्रों के बैठने की व्यवस्था	1	• पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों/टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं • बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैठने की व्यवस्था • क्या बच्चे पंक्तिबद्धए अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं? • क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास/ गतिविधिया करने के लिए पर्याप्त स्थान है? • पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं?
9	बच्चों की स्वच्छता	1	• क्या बच्चे साफ–सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं? • क्या उनके कपड़े साफ--सुथरे हैं?

शिक्षक एवं शिक्षण / अधिगम संबधी

भाग – दो

कुल अंक – 29

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
9	शिक्षक का व्यक्तित्व	1	• वेशभूषा, साफ सुथरी • संयत एवं मुस्कुराहट • प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, समयबद्धता। • शिष्ट एवं अनुशासित आचरण
10	शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता	3	• स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। • शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। • उसकी बात / भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। • बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
11	अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	1	• मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं।
12	सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं?	1	• शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
13	विद्यालय अनुशासन	1	• क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं?
14	• कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रत की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं?	3	• समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं।
15	शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं बतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं।	3	• नवीन इकाई/विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
16	क्या शिक्षक बच्चे पाठ/विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं।	2	• क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्यापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है?
17	क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं?	1	• बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं?
18	क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है।	3	• क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं। 13

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
19	कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं?	3	• क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
20	पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे है या नहीं।	3	• पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है? • प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन • कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
21	क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है?	1	• पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं? • क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं? • ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया? • खेल–कूद / पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है? • स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई? • पुस्तकालय की पुंस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
22	क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है।	1	• क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागीदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि)
23	अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य	2	

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/अनुश्रवण सम्बन्धी

भाग – तीन

कुल अंक – 12

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
24	पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं?	1	• इकाई आधारित
25	शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है/उसकी जाँच की जा रही है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
26	छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति	3	पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न / अभ्यास कराके जाँच करें।
27	क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार / छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
28	मासिक परीक्षण/इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों/बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं।	3	• कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना।
29	क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।	1	प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड
30	क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है?	2	• छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है?

कुल अंक	:	**50**
श्रेणीकरण	:	

अंक	श्रेणी
41-50	अ (A)
26-40	ब (B)
16-25	स (C)
0-15	द (D)

Month wise categories provided to the school

	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May
NPRC-C											
BRC-C											
SDI, ABSA											
BSA											
DIET											
Others											
Total											

NIEPA DC
D11489

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National ... Educational
Planning ... Administration.
17-B, ... Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ...
Date ...